[2019] 17 एस. सी. आर. 422

पी. गोपालकृष्णन @दिलीप

वी.

केरल राज्य और ANDR।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1794)

नवंबर 29,2019

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस के अर्थ के भीतर दस्तावेज़। 3 साक्ष्य अधिनियम और एस। 29 आई. पी. सी.-आयोजितः किसी लेख को 'दस्तावेज़' के रूप में वर्गीकृत करने का आधार उस जानकारी पर निर्भर करता है जो अंकित है न कि इस बात पर कि वह कहाँ है। उत्कीर्ण है-'साक्ष्य की परिभाषा' जैसा कि परिकल्पना की गई है एस 3, स्पष्ट रूप से

दस्तावेजी साक्ष्य को अपने तह में लेता है और सभी दस्तावेजी साक्ष्य को अर्थ में शामिल करता है और सभी दस्तावेजों को शामिल करता है निरीक्षण के लिए उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित

न्यायालय एस में प्रावधान। 65 साक्ष्य अधिनियम का बी, Cr.P.C का s. 95 (2) (b)। आई. पी. सी. की धारा 29 और सामान्य खंड अधिनियम में दस्तावेज़ की परिभाषा इस बात को पुष्ट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को निम्नलिखित रूप में माना जाना चाहिए:

' दस्तावेज़ '।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 207 - अभियुक्त को दस्तावेज़ प्रस्तुत करना-आयोजितः

अभियुक्त को दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अधिकार का एक पहलू है संविधान के Art.21 में निहित एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए अभियुक्त

धारा 207 मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किसी भी 'दस्तावेज' को रोकने का अधिकार नहीं देती है, सिवाय इसके कि जब वह

विशाल है-यदि दस्तावेज़/रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, तो दस्तावेज़ को प्रस्तुत न करने के लिए आधार यह है कि यह विशाल है इसलिए, 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' सहित सभी दस्तावेज़ों को लागू नहीं किया जा सकता है।

पुलिस रिपोर्ट के साथ न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जो अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, उसे एस के अधिदेश के अनुसार अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 207

मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री अभियुक्त को प्रतिरूपित प्रति के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

422 पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR।

भारत का संविधानः

Art.21-अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और पीड़ित की निजता का अधिकार-बलात्कार के अपराध में-प्रतिस्पर्धी अधिकार -

आयोजित किया गयाः यद्यपि अभियुक्त को प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है

पुलिस रिपोर्ट के साथ बयान और दस्तावेज, जिनका अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ उपयोग कर सकता है-फिर भी, न्यायालय अपराध की प्रकृति से अनजान नहीं हो सकता है और

एस में संशोधन के अंतर्निहित सिद्धांत। 327 (2) आई. पी. सी. के <आई. डी. 1. और 228 ए, पीड़ित की गोपनीयता और पहचान को सुरक्षित करने के लिए-दोनों पक्षों के अधिकारों का संतुलन अनिवार्य है-ऐसे मामलों में, न्यायालय को मुकदमे के दौरान प्रभावी बचाव प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त और उसके वकील या विशेषज्ञ को केवल दस्तावेजों का निरीक्षण प्रदान करने में उचित ठहराया जा सकता है-दंड संहिता

प्रक्रिया, 1973 - s.327 (2)-दंड संहिता, 1860 - s.228A।

क़ानूनों की व्याख्याः

चालू क़ानून-आयोजित की गई व्याख्याः दंड प्रक्रिया संहिता, एक चालू क़ानून होने के कारण, यह माना जाता है कि

विधायिका का इरादा था कि अदालतें एक ऐसे निर्माण को लागू करें जो समकालीन स्थिति के साथ परिवर्तन और अनुकूलता की अनुमति देने के लिए अपने शब्दों को लगातार अपडेट करता रहे।

शब्द और वाक्यांशः

" डेटा "और" इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड "-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संदर्भ में इसका अर्थ है।

" दस्तावेज़ "-साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में इसका अर्थ,

1872 .

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 जाँच अधिकारी जाँच पूरी करने के बाद यू / s.173 Cr.P.C., इस तरह की पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति भेजने के लिए बाध्य है। पुलिस रिपोर्ट के साथ, जाँच अधिकारी मजिस्ट्रेट को "सभी दस्तावेज" या उसके प्रासंगिक उद्धरण भेजने के लिए भी बाध्य है, जिन पर अभियोजन पक्ष जाँच के दौरान मजिस्ट्रेट को भेजे गए दस्तावेजों के अलावा अन्य पर भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। इसी तरह, उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान जिन्हें

अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों के रूप में जाँच करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा जाना आवश्यक है।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में, यह पुलिस अधिकारी के लिए खुला है, यदि उसकी राय में, "बयान" का कोई भी हिस्सा कार्यवाही की विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक नहीं है या कि अभियुक्त को इसका खुलासा न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और सार्वजनिक हित में अनुचित है, तो "बयान" के उस हिस्से को इंगित करने के लिए और मजिस्ट्रेट से उस हिस्से को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर करने का अनुरोध करते हुए एक नोट जोड़ने के लिए और ऐसा अनुरोध करने के लिए अपने कारणों को बताते हुए। हालाँकि, वह विवेकाधिकार उसे "दस्तावेजों" या उसके प्रासंगिक उद्धरणों के संबंध में नहीं दिया गया है। जिसे अभियोजन पक्ष संबंधित अभियुक्त के खिलाफ भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। [पैरा 13] [443-बी-ई]

1.2 जहां तक दस्तावेजों का संबंध है, धारा 173 Cr.P.C की उप-धारा (7) जांच अधिकारी को सक्षम बनाती है, यदि उसके राय यह है कि उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी दस्तावेज की प्रतियां अभियुक्त को प्रस्तुत करना सुविधाजनक है। जिन "दस्तावेजों" पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है,

जाँच अधिकारी के पास पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को "सभी दस्तावेज़" भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ("बयानों" के मामले के विपरीत) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच अधिकारी को मजिस्ट्रेट से अनुरोध करते हुए एक नोट जोड़ने में सक्षम बनाता है, ताकि आरोपी को दी जाने वाली प्रतियों से उसके किसी भी हिस्से ("दस्तावेज") को बाहर रखा जा सके। उप-धारा (7), हालांकि, जांच अधिकारी को सभी या कुछ दस्तावेजों की प्रतियां अग्रेषित करने के लिए सीमित विवेकाधिकार देती है, जिसे वह आरोपी को देना सुविधाजनक समझता है। वह उसे शेष दस्तावेजों को रोकने की अनुमति नहीं देता है, जिस पर

अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ भरोसा करने का प्रस्ताव करता है,

पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया। जिस पर दूसरी ओर, Cr.P.C की धारा 173 (5) (a) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि जाँच अधिकारी इसके लिए बाध्य है -

मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ "सभी" दस्तावेज या प्रासंगिक उद्धरण भेजें जिन पर अभियोजन पक्ष संबंधित आरोपी के खिलाफ भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। [पैरा 13,14] [443-एफ; 445-जी-एच; 446-ए-सी]

1.3 Cr.P.C की धारा 207 के आधार पर पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ दिए गए बयानों और दस्तावेजों की प्राप्ति पर।

मजिस्ट्रेट तब अभियुक्त को प्रत्येक बयान और दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। एस का पहला परंतुक। 207 मजिस्ट्रेट को इसके किसी भी हिस्से को रोकने में सक्षम बनाता है पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम।

केरल राज्य और ANDR।

खंड (iii) में निर्दिष्ट, धारा 173 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट सूचना और जांच अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कारणों से संतुष्ट होने पर अभियुक्त से। हालांकि, जब यह प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की बात आती है जाँच अधिकारी पुलिस रिपोर्ट के साथ, मजिस्ट्रेट केवल खंड (v) में निर्दिष्ट ऐसे दस्तावेज़ को रोक सकता है, जो उसकी राय में "विशाल" है। उस मामले में, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या अदालत में अपने वकील के माध्यम से संबंधित दस्तावेज़ का निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, Cr.P.C की धारा 207 मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किसी भी "दस्तावेज" को रोकने का अधिकार नहीं देती है, सिवाय इसके कि वह बड़ी मात्रा में हो। एक दुर्भाग्य से, यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि भले ही जांच अधिकारी किसी विशेष दस्तावेज के संबंध में अपना नोट जोड़ता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी शक्ति केवल इस मामले में ही सीमित है।

Cr.P.C की धारा 173 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट 'बयानों' के संबंध में। इस प्रकार, धारा 207 के तहत मजिस्ट्रेट का कर्तव्य

इस स्तर पर प्रशासनिक कार्य की प्रकृति है, जिसके तहत उसे धारा का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। [पैरा 15,16] [446-सी-डी; 447-सी-एफ]

प्रदीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92: [2014] 2 एस. सी. आर. 1; तरुण त्यागी बनाम। सीबीआई (2017) 4 एससीसी

490 [2017] 1 एस. सी. आर. 670-पर निर्भर।

1.4 यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि जब कानून स्पष्ट है, तो न्यायालय को परिणामों की परवाह किए बिना स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ अपनाना चाहिए। Cr.P.C की धारा 207 के खाली पढ़ने पर, कोई अन्य व्याख्या संभव नहीं है। [पैरा 17] [448

एफ-जी]

नेल्सन मोटीस बनाम। भारत संघ (1992) 4 एससीसी 711:

[1992] 1 पूरक। एस. सी. आर. 325-पर निर्भर।

1.5 आई. डी. 1 की धारा 207 के तहत अभियुक्त को दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अभियुक्त के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार का एक पहलू है।

संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित। [पैरा 18] [448-जी]

सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2010) 6 एस. सी. सी. 1: [2010] 4 एससीआर 103; वी. के. शशिकल बनाम राज्य (2012) 9 एससीसी 771: [2012] 10 एससीआर

641 पर भरोसा किया।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.6 हालांकि Cr.P.C की धारा 207 मजिस्ट्रेट द्वारा दस्तावेज़ (दस्तावेजों) को केवल तभी रोकने की अनुमति देती है जब यह भारी मात्रा में हो और बिना किसी अन्य कारण के हो। यदि यह एक "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" है, तो निश्चित रूप से धारा 207 में दूसरे परंतुक में बड़े होने का आधार, आमतौर पर, लागू नहीं किया जा सकता है और अनुपलब्ध होगा। [पैरा 41] [471-एफ]

जैसा भी मामला हो, पुलिस रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभियुक्त को, जहाँ - अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ उसी पर भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। [पैरा 20] [452-ए-सी]

2.2 लेख को "दस्तावेज़" के रूप में वर्गीकृत करने का आधार उस जानकारी पर निर्भर करता है जो अंकित है न कि

जहाँ यह अंकित है। भाषणों के टेप रिकॉर्ड और कॉम्पैक्ट डिस्क सहित ऑडियो/वीडियो कैसेट आयोजित किए गए हैं।

" साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत दस्तावेज जो तस्वीरों से अलग नहीं हैं और साक्ष्य में स्वीकार्य हैं। यह अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है

1872 अधिनियम की धारा 3 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य। [पैरा 21] [453-ई-एफ]

तुकाराम एस. दिघोले बनाम। माणिकराव शिवाजी कोकाटे,

(2010) 4 एस. सी. सी. 329; [2010] 2 एस. सी. आर. 396 जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम। बृजमोहन रामदास मेहरा और अन्य। , (1976) 2 एससीसी 17: [1975] पूरक। एससीआर 281; शमशेर सिंह वर्मा बनाम हरियाणा राज्य, (2016) 15 एससीसी 485 [2015] 12 एससीआर 234; अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473: [2014] 11 एससीआर 399--

पर भरोसा किया।

ग्रांट और एक अन्य वी। साउथवेस्ट और काउंटी

प्रॉपर्टीज लिमिटेड और एक अन्य [1975] Ch. 185 – - संदर्भित

को।

राजा वी। डे [1908] 2 के. बी. 333-संदर्भित।

पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR।

2.3 दंड प्रक्रिया संहिता एक चालू क़ानून है। एक चल रहे क़ानून के मामले में, यह माना जाता है कि संसद का इरादा न्यायालय को एक ऐसे निर्माण को लागू करने का था जो लगातार परिवर्तनों की अनुमति देने के लिए अपने शब्दों को अद्यतन करता है और समकालीन स्थिति के साथ संगत है। [पैरा 22] [454-ए-बी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई (2003) 4

एससीसी 601: [2003] 3 एस. सी. आर. 244-पर निर्भर।

2.4 यदि अभियोजन पक्ष केवल मेमोरी कार्ड की बरामदगी पर निर्भर था और इसकी सामग्री पर नहीं, तो कोई नहीं होगा

प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार करने में कठिनाई हस्तक्षेप करें कि मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव एक भौतिक वस्तु है। इस तरह के मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव में निहित वीडियो फुटेज/क्लिपिंग एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जैसा कि 2000 अधिनियम की धारा 2 (1) (टी) द्वारा परिकल्पित है, एक "दस्तावेज़" है और इसे एक भौतिक वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पैरा 23] [455-सी; 456-डी-ई]

हॉज एम. मालेक, फिपसन ऑन एविडेंस, 19 वें संस्करण,

2018 , pg. 5 और 1450-संदर्भित।

कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया गया है या कंप्यूटर की स्मृति में आंतरिक रूप से संग्रहीत किया गया है। [पैरा 24] [457-ए-बी] 2.6 यू/एस की परिकल्पना के अनुसार "साक्ष्य" की परिभाषा को नंगे पढ़ने पर। 3 साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेजों को शामिल करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य को अपने तह में लेता है। [पैरा 25] [457-एच]

2.7 साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी इस कानूनी स्थिति को दोहराती है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ में निहित कोई भी जानकारी

अभिलेख जो एक कागज पर मुद्रित किया जाता है, संग्रहीत किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है या कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में प्रतिलिपि किया जाता है, उसे एक "दस्तावेज" माना जाएगा और उक्त प्रावधान की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन साक्ष्य में स्वीकार्य होगा। [पैरा 25] [460-ई-एफ] [2019] 17 एस. सी. आर.

2.8 Cr.P.C की धारा 95 (2) (b). किसी भी पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ, या अन्य दृश्य को शामिल करने के लिए "दस्तावेज़" को संदर्भित करती है। प्रतिनिधित्व। और फिर, अभिव्यक्ति "दस्तावेज़" है

दंड संहिता की धारा 29 में परिभाषित किया गया है। [पैरा 26] [460-एफ जी]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000। न्यायालय 2000 के अधिनियम की धारा 2 (1) (v) में दी गई "सूचना" की परिभाषा का विज्ञापन भी कर सकता है। यहां तक कि सामान्य खंड अधिनियम में दी गई "दस्तावेज़" की परिभाषा भी इस स्थिति को मजबूत करेगी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को "दस्तावेज" माना जाना चाहिए। [पारस 27-29] [461-F-G; 462-A]

2.10 कानून की 42 वीं और 156 वीं रिपोर्ट पर विचार करना।

भारत आयोग, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेमोरी कार्ड की सामग्री एक "पदार्थ" होगी और मेमोरी कार्ड अपने आप में एक "पदार्थ" होगा और इसलिए, मेमोरी कार्ड की सामग्री एक "दस्तावेज़" होगी। [पैरा 31] [466-ई; 467-ए]

बयालीसवीं रिपोर्ट, विधि आयोग भारत, भारतीय दंड संहिता, जून 1971,32-35; एक सौ पचास

भारतीय दंड संहिता पर छठी रिपोर्ट (खंड I), अगस्त, 1997, भारतीय विधि आयोग, अध्याय-XI

- संदर्भित किया गया।

2.11 यह स्पष्ट है कि सभी दस्तावेजों सहित

" इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड "पुलिस रिपोर्ट के साथ न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया और किस अभियोजन पक्ष ने प्रस्तावित किया

अभियुक्त के खिलाफ उपयोग Cr.P.C की धारा 207 के आदेश के अनुसार अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही यह है कि मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री अभियुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसे मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की क्लोन की गई प्रति के रूप में किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के गंभीर अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने वाले व्यक्ति को सभी सामग्री और साक्ष्य पहले से प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिस पर अभियोजन पक्ष प्रस्ताव करता है -

मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ भरोसा करें। कोई भी अन्य दृष्टिकोण न केवल Cr.P.C में निहित वैधानिक जनादेश को बाधित करेगा, बल्कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक अभियुक्त का अधिकार भी।

[पैरा 32] [467-बी-सी] पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR।

वर्तमान मामले में आठ नामजद आरोपी हैं।

3.1

अब तक। एक बार जब अपीलार्थी, जो अभियुक्त संख्या 8 है, को राहत दी जाती है, तो अन्य अभियुक्त उसी मुकदमे का पालन करेगा। उस घटना में, मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री की क्लोन की गई प्रतियां सभी अभियुक्तों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगी। वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में कुछ शर्तें लागू करने की आवश्यकता है। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा सुझाए गए सुरक्षा उपाय/शर्तें जैसे कि विशेषज्ञों की मदद लेना, संबंधित प्रतिरूपित प्रतियों पर जलचिह्न लगाना आदि पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

इसके दुरुपयोग की संभावना को पूरी तरह से खारिज करने का उपाय। इसमें प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ यह संभव हो सकता है

संबंधित प्रतिरूपित प्रति में शामिल सुरक्षा मुहरों को भी तोड़ना। इसके अलावा, प्रतिरूपित प्रतिलिपि के दुरुपयोग और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा पर नज़र रखना लगभग असंभव होगा। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा मांगी गई प्रार्थना को पूरी तरह से स्वीकार करने के बजाय, अपीलार्थी को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान जैसी स्वतंत्र एजेंसी से दूसरे विशेषज्ञ की राय लेने की अनुमति देकर राहत को ढाला जाना वांछनीय हो सकता है।

प्रयोगशाला (सी. एफ. एस. एल.), उन सभी मामलों पर जिन्हें अपीलार्थी को सलाह दी जा सकती है। उसमें, अपीलार्थी अपनी पसंद के विशेषज्ञ की मदद से प्रश्न तैयार कर सकता है, ताकि उसे कथित एजेंसी के सामने रखा जा सके। यह गोपनीय होगा और किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो सी. एफ. एस. एल. से संबद्ध नहीं है।

इसी तरह, सी. एफ. एस. एल. द्वारा तैयार फोरेंसिक रिपोर्ट,

विषय मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की क्लोन की गई प्रति का विश्लेषण करने के लिए, इसे गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित अभियुक्त के अलावा किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। या मुकदमा समाप्त होने तक उसका अधिकृत प्रतिनिधि। [पारस 35-37] [468-B-G]

3.2 अभियुक्त, जो आश्वस्त करने में रुचि रखते हैं

स्वयं विचाराधीन मेमोरी कार्ड की सामग्री की वास्तविकता और विश्वसनीयता के बारे में या अभियोजन पक्ष द्वारा निचली अदालत के समक्ष पेश किए गए पेन-ड्राइव के बारे में, जिस पर

अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान भरोसा करेगा, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी की राय लेने के लिए स्वतंत्र है, जैसे कि सी. एफ. एस. एल. ऐसे मामलों पर जो उन्हें सलाह दी जा सकती है, किस जानकारी का उपयोग उनके द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों का सामना करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं -

राज्य एफ. एस. एल. की फोरेंसिक रिपोर्ट पर पुलिस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया। [पैरा 38] [469-ए-बी] [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1 यह अनुच्छेद 21 से बहने वाले मौलिक अधिकारों के अंतर-संघर्ष का एक विचित्र मामला है, जो कि अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और पीड़ित की निजता का अधिकार है, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है जो दोनों अधिकारों को संतुलित करे। [पैरा 39] [469-सी]

आशा रंजन बनाम। बिहार राज्य (2017) 4 एस. सी. सी. 397; मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम। भारत संघ (2018) 17 एससीसी 324: [2018] 11 एस. सी. आर. 586-पर निर्भर था।

जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ कर सकता है। फिर भी, न्यायालय अपराध की प्रकृति और आई. डी. 1 की धारा 327 में संशोधन के अंतर्निहित सिद्धांत, विशेष रूप से इसकी उप-धारा (2) और आई. पी. सी. की धारा 228 ए को शामिल करने से अनजान नहीं हो सकता है, ताकि पीड़ित की निजता को सुरक्षित किया जा सके। और उसकी पहचान। इस प्रकार समझा जाता है कि न्यायालय एक ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए बाध्य है जो अभियुक्त को एक स्वतंत्र एजेंसी से मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री की वास्तविकता और विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त करने में सक्षम बनाता है ताकि मुकदमे के दौरान प्रभावी ढंग से अपना बचाव किया जा सके। इस प्रकार, दोनों पक्षों के अधिकारों को संतुलित करना अनिवार्य है। न्यायालय उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए बाध्य है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए

Cr.P.C की धारा 482 के तहत, उपयुक्त जारी करने के लिए सक्षम है।

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्देश। [पारस 41,42] [471-जी; 472-ए-सी]

कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम सत्येन भौमिक और अन्य। (1981) 2

एससीसी 109: [1981] 2 एस. सी. आर. 661-संदर्भित।

4.3 यदि अभियुक्त या उसका वकील स्वयं, अतिरिक्त रूप से, विचाराधीन मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री का निरीक्षण करने का इरादा रखता है, तो वह मजिस्ट्रेट से उसे प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है। अदालत में निरीक्षण, यदि आवश्यक हो, तो अपने वकील और आई. टी. विशेषज्ञ के साथ एक से अधिक बार भी, ताकि वह मुकदमे के दौरान प्रभावी ढंग से अपना बचाव कर सके। यदि ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को उस पर उचित रूप से विचार करना चाहिए और

यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अभियुक्त द्वारा मुकदमे को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं है, निष्पक्षता के साथ विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग करें। अभियुक्त और उसके वकील या अधिकृत आई. टी. विशेषज्ञ को अनुमति देते समय, पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम.

केरल राज्य और ANDR।

इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके पास मोबाइल फोन सहित कोई भी उपकरण बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रतिलिपि बनाने या स्थानांतरित करने की क्षमता हो।

मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री को किसी भी तरह से बदलना या परिवर्तित करना। इस तरह का बहुआयामी दृष्टिकोण न्याय के उद्देश्यों को कम कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त के अधिकार को भी प्रभावी बना सकता है। [पैरा 43] [472-डी-एफ]

5. इस प्रकार, मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को एक दस्तावेज माना जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष उसी पर भरोसा कर रहा है, तो आम तौर पर, अभियुक्त को उसकी एक प्रतिरूपित प्रति दी जानी चाहिए ताकि वह मुकदमे के दौरान एक प्रभावी बचाव प्रस्तुत कर सके। हालांकि, शिकायतकर्ता/गवाह की गोपनीयता या उसकी पहचान जैसे मुद्दों से जुड़े मामलों में, अदालत केवल आरोपी और उसके वकील या विशेषज्ञ को इसका निरीक्षण प्रदान करने के लिए उचित हो सकती है। मुकदमे के दौरान प्रभावी बचाव प्रस्तुत करना। न्यायालय दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है। [पैरा 44] [472-जी-एच]

6. जहाँ तक प्रारंभिक आपत्ति की गई है

वर्तमान अपील की विषय वस्तु बनाने वाली विशेष अनुमति याचिका के ज्ञापन में पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण के कारण सीमा पर अपील को खारिज करने के लिए प्रतिवादी, यह पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध मामले में पीड़ित का नाम लेकर, धारा 161 के तहत पीड़ित के बयान के साथ-साथ Cr.P.C की धारा 164 के तहत, और मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आरोप पत्र/पुलिस रिपोर्ट में ऐसा किया था। यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री को देखने के बारे में गलत तथ्यात्मक वर्णन के बारे में आपत्ति भी मामले को आगे नहीं ले जाती है, एक बार जब 1973 की संहिता की धारा 207 द्वारा अनिवार्य मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री की क्लोन प्रतियां प्राप्त करने का अभियुक्त का अधिकार मान्यता प्राप्त हो जाता है और इससे भी अधिक, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष मुकदमे के लिए अभियुक्त का अधिकार है। [पैरा 34] [467-एफ-एच]

मामला कानून संदर्भ

[2014] 2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2017] 1 एससीआर 670

उस पर भरोसा करें

[1992] 1 पूरक। एससीआर 325

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2010] 4 एससीआर 103

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2012] 10 एससीआर 641

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[1908] 2 के. बी. 333

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1975] च. 185

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2010] 2 एससीआर 396

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1975] पूरक। एससीआर 281

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2015] 12 एससीआर 234

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2014] 11 एससीआर 399

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2003] 3 एससीआर 244

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

(2017) 4 एस. सी. सी. 397

उस पर भरोसा करें

पै

रा 39

[2018] 11 एससीआर 586

उस पर भरोसा करें

पै

रा 40

[1981] 2 एससीआर 661

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 1794।

उच्च न्यायालय के 14.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में एर्नाकुलम में केरल का न्यायालय। 2018 का एमसी सं. 1663।

मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, बसंत आर., वरिष्ठ अधिवक्ता। , फिलिप टी.

वर्गीज, सुजेश मेमन, पी. वामशी राव, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सुश्री रंजीता रोहतगी, अभिषेक ठकराल, सुरेसन ए., जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, मोहन कुमार, के. राजीव, शिनोज के. दरयानन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में पहेली यह हैः क्या ए की सामग्री

मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (1) (टी) (संक्षेप में, '2000 अधिनियम') में वर्णित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के कारण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 (संक्षेप में, '1872 अधिनियम') और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 29 (संक्षेप में, '1860 पी. गोपालकृष्ण @दिलीप बनाम।

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कोड ')? यदि ऐसा है, तो क्या ऐसे मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री की क्लोन की गई प्रति आरोपी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

बलात्कार और संबंधित अपराधों के कथित अपराध के लिए अभियोजन क्योंकि यह मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया है और अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, '1973 संहिता') की धारा 207 के संदर्भ में आरोपी के खिलाफ इस पर भरोसा करने का प्रस्ताव किया है? अगला सवाल हैः क्या यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह अभियुक्त के क्लोन की गई प्रति प्रस्तुत करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दे

विषय मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री वीडियो के रूप में

कथित घटना/बलात्कार की घटना से संबंधित फुटेज/क्लिपिंग इस आधार पर कि यह कथित अपराध (ओं) में शामिल पीड़ित की गोपनीयता, गरिमा और पहचान को प्रभावित करेगा और आरोपी द्वारा ऐसी प्रतिरूपित प्रति के दुरुपयोग की संभावना के कारण (जो 2000 के अधिनियम के तहत अन्य स्वतंत्र अपराधों को आकर्षित कर सकता है और

1860 कोड)?

3. अपीलार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.)/अपराध मामले के रूप में दर्ज अपराध के संबंध में अभियुक्त संख्या 8 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

4. इस अपील में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए, यह देखने के लिए पर्याप्त है कि जांच अधिकारी नेदुम्बासेरी से जुड़ा हुआ है। पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम, केरल ने संबंधित गवाहों के बयान दर्ज करने और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद, 1973 की संहिता की धारा 173 के तहत न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, अंगमाली के समक्ष पुलिस रिपोर्ट दायर की। पहली पुलिस रिपोर्ट, 17.4.2017 पर और दूसरी, 22.11.2017 पर। जब अपीलार्थी को एक प्रति प्रदान की गई थी

आई. डी. 2 पर दूसरी पुलिस रिपोर्ट, उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित सभी दस्तावेज, जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा करने का प्रस्ताव किया था, अपीलार्थी को प्रदान नहीं किए गए थे, अर्थात्, (i) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (मेमोरी कार्ड की सामग्री); (ii) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में, 'एफ. एस. एल.') रिपोर्ट और आई. डी. 1 में संलग्न निष्कर्ष। ; ((ग) चिकित्सीय विवरण; C.C.T.V. फुटेज और (iv) अभियुक्त और विभिन्न गवाहों के कॉल डेटा रिकॉर्ड

आदि।

5. संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा यह नोट किया गया है कि दृश्यों को फोरेंसिक जांच के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा नकल और प्रलेखित किया गया है

मेमोरी कार्ड को अपीलार्थी के [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा देखे जाने की अनुमति दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं न्यायालय में नियमित संवर्ग सहायक लोक अभियोजक ई न्यायालय की उपस्थिति में। उक्त दृश्यों को देखने के बाद, कुछ टीएस सामने आए, जिसने अपीलार्थी को औपचारिक याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया।न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, अंगमाली के समक्ष अभियोजन पक्ष को स्मृति कार्ड में प्राप्त प्रारूप में वीडियो और ऑडियो फुटेज/क्लिपिंग वाले ओ. आर. आई. कार्ड की सामग्री की एक प्रतिरूपित प्रति प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिलिपि के साथ-साथ मानव आवाजें, जिसमें पुरुष और महिला दोनों दर्ज हैं। उक्त में

अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार दावा कियाः

" 7. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा किए गए उल्लंघनकारी कार्य के कथित वीडियो फुटेज की प्रति के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वास्तव में शिकायतकर्ता के शरीर और व्यक्ति पर एक महत्वपूर्ण और सामग्री रिकॉर्ड है जिस पर इस मामले में अभियोजन पक्ष भरोसा करता है। अभियोजन पक्ष का यह निश्चित तर्क है कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपराध करने के साथ-साथ अपराध करने का उद्देश्य भी है और इसलिए

निर्विवाद रूप से इस मामले में सबूत का सबसे भौतिक टुकड़ा। जब मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सबूत के ऐसे महत्वपूर्ण टुकड़े को पेश नहीं करने में अन्याय को तुरंत इस माननीय न्यायालय के ध्यान में लाया गया, तो याचिकाकर्ता के प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बचाव पक्ष को कथित वीडियो फुटेज देखने की अनुमति दी गई। लैप टॉप में पेन ड्राइव की सामग्री इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई गई है। वकील और विद्वान एपीपी को भी हेड फोन प्रदान किए गए थे जो पूरे समय मौजूद थे।

इस कार्यवाही के दौरान।

अभियोजन। वास्तव में वीडियो फुटेज अपराध करने का बिल्कुल भी सबूत नहीं है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा झूठा दावा किया गया है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से झूठ गढ़ने का मामला है। एक झूठा मामला थोपने के इरादे से साक्ष्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कथित प्राथमिक साक्ष्य को जानबूझकर छिपाने या छिपाने के बाद है। मोबाइल फोन का उपयोग अभियुक्त संख्या 1 द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा सक्रिय मिलीभगत से किया गया था।

गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अभियुक्त नं. 1, कि अभियोजन पक्ष ने एक मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया है

जिसमें स्पष्ट रूप से केवल चयनित ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है।

9. XXX

XXX

XXX

10. ..... वैज्ञानिक सहायता के साथ छवियों और ऑडियो की आगे की जांच और बारीकी से जांच सभी संभावनाओं में रिकॉर्ड की गई छवियों के पीछे की सच्चाई और छेड़छाड़ की सीमा का पता लगाने के लिए आवश्यक अधिक महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करेगी और इसका पता तभी लगाया जा सकता है जब मेमोरी कार्ड की दर्पण प्रति का पता लगाया जाए।

याचिकाकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है जिसे वह बिना किसी और देरी के प्राप्त करने का हकदार है। चूंकि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से जानता है कि छेड़छाड़ का पता लगाया जा सकता है और बचाव पक्ष द्वारा आगे महिला आवाज को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अभियोजन पक्ष किसी भी रूप में मेमोरी कार्ड की प्रति की आपूर्ति को रोकने की कोशिश कर रहा है।

रक्षा। यह अवैध है और यह स्पष्ट रूप से एक न्यायसंगत और निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के बराबर होगा।

11. XXX

XXX

XXX

12. 8.3.2017 दिनांकित मजार की सामग्री की बारीकी से जांच से पता चलता है कि 18.2.2017 पर आरोपी नंबर 1 ने अधिवक्ता को 8 जीबी का मेमोरी कार्ड सौंपा था। ई. जी. पौलोस, जिन्होंने इसे जे. एफ. सी. एम. अलुवा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने उपरोक्त को हिरासत में ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बाद में 8 जी. बी. मेमोरी कार्ड एफ. एस. एल. को भेजा गया, जहाँ जाँच के बाद, डॉ. सुनील एस. पी., सहायक निदेशक (दस्तावेज), एफ. एस. एल., तिरुवनंतपुरम ने कथित तौर पर उस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई है। मजार से आगे पता चलता है कि मेमोरी कार्ड की सामग्री को जांच के उद्देश्य से पेन ड्राइव में स्थानांतरित कर दिया गया था। उपरोक्त मजार में आगे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेन ड्राइव में मेमोरी कार्ड से स्थानांतरित डेटा होता है और यह 22 से 17.2.2017 के वीडियो फुटेज से संबंधित हैः 30: 55 22 तकः 48: 40 घंटे और यह जांचने और सत्यापित करने के लिए है कि क्या उसमें निहित आवाज सुनी की है कि आवाज का नमूना कथित रूप से लिया गया था। मजार में वर्णन इस तरह आगे बढ़ता है जैसे कि वीडियो फुटेज में केवल पुरुष आवाज है जो इस तथ्य को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है कि वीडियो फुटेज में महिला आवाज में कई महत्वपूर्ण और भौतिक कथन हैं। वे।

याचिकाकर्ता और उसके वकील को केवल 15.12.2017 पर बयानों का खुलासा किया गया था। उपस्थित सभी लोगों को [2019] 17 एस. सी. आर. सुनने का लाभ मिला।

स्पष्ट महिला आवाज ने कहा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है एल. डी. एपीपी भी मौजूद था। लेकिन जांच एजेंसी, जिसे निश्चित रूप से इसे देखना और सुनना चाहिए था, ने स्पष्ट कारण के लिए अभिलेखों से उक्त भौतिक पहलुओं की जांच की है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच में स्पष्ट कारणों से वीडियो फुटेज में महिला की आवाज की तुलना इस मामले में शामिल महिला की आवाज से करने का साहस नहीं किया गया। देखने और सुनने पर यह पता चलता है कि किसी ने स्पष्ट प्रयास किया है वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग से प्रमुख भागों को हटाना।

13. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वीडियो फुटेज में शामिल पक्षों द्वारा किए गए और देखे गए कथन वीडियो फुटेज में दर्ज किए गए कार्य की प्रकृति और वीडियो फुटेज की प्रतिलिपि को निर्धारित करते हैं।

वीडियो फुटेज में कथन और मानवीय आवाजें अत्यधिक न्यायसंगत और आवश्यक हैं, विशेष रूप से चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को देखते हुए, पाया गया जब वीडियो फुटेज 15.12.2017 पर चलाया गया था।

14. एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है कथित रूप से वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन का रहस्यमय ढंग से गायब होना। याचिकाकर्ता की मजबूत भावना यह है कि जांच एजेंसी ने अब तक उस मोबाइल फोन के बारे में सच्चाई नहीं बताई है जिसका कथित रूप से वीडियो फुटेज शूट करने के लिए उपयोग किया गया था। अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड स्वयं दृढ़ता से इंगित करेंगे कि घटना को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोबाइल फोन (जो अब एक नाटक बन गया है) पुलिस के पास था या उन व्यक्तियों के पास था जो आपराधिक अभियोजन शुरू करने के लिए सबूत के रूप में वीडियो फुटेज के मनगढ़ंत निर्माण के पीछे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी जैसे एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक दल द्वारा लगभग एक साल तक जांच करने के बाद भी यह मान लेना सामान्य ज्ञान के लिए विद्रोह है। जी. पी.

स्टेज, जिसके दौरान आरोपी नंबर 1 लगातार 14 दिनों तक जांच दल की हिरासत में था और उसके बाद अलग-अलग अवसरों पर वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल मोबाइल उपकरण का पता नहीं चल सका। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच दल मोबाइल उपकरण को रोके जाने को दबाने के लिए इस तरह के अपमान के क्रोध को सहन करने के लिए एक इच्छुक एजेंट था।

15. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 22.11.2017 की दूसरी अंतिम रिपोर्ट में भी पुलिस ने कहा है कि पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम.

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मूल मोबाइल फोन प्राप्त करना आज भी जारी है। यह और कुछ नहीं बल्कि अदालत सहित सभी को मूर्ख बनाने का प्रयास है।

16. यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वीडियो फुटेज में चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को देखते हुए, याचिकाकर्ता मामले की उचित, न्यायसंगत और सार्थक जांच करने का अनुरोध करने का इरादा रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक सच्चाई सामने आ जाए और इस मामले में वास्तविक दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जाए। याचिकाकर्ता को उस संबंध में कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए। यह अत्यधिक न्यायसंगत और आवश्यक है कि मेमोरी कार्ड की सामग्री की क्लोन की गई प्रति जिसमें उसी प्रारूप में वीडियो और ऑडियो सामग्री हो जो मेमोरी कार्ड में प्राप्त की गई है और इसमें दर्ज मानव आवाजों की प्रतिलिपि अदालत के समक्ष पेश की जाती है और उसी की प्रति प्रस्तुत की जाती है।

याचिकाकर्ता को तुरंत।

17. जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष ने चुना है

अभियोजन रिकॉर्ड का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करें

15.12.2017 . याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से एक विस्तृत याचिका के साथ संपर्क कर रहा है जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों का विवरण दिया गया है जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहले से प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं और अन्य दस्तावेजों का विवरण जो याचिकाकर्ता को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक अभियुक्त के रूप में कानूनी रूप से है

सीडी, वीडियो फुटेज आदि सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है, और अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है

याचिकाकर्ता के लिए भी ऐसा ही है।

19. उपरोक्त परिसर में यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय अभियोजन पक्ष को मेमोरी कार्ड की सामग्री की एक क्लोन प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दे जिसमें वीडियो और ऑडियो सामग्री उसी प्रारूप में हो जो मेमोरी कार्ड में प्राप्त की गई है और मानव आवाजों की प्रतिलिपि, दोनों पुरुष और ऑडियो कार्ड में प्राप्त की गई है।

महिला को इसमें दर्ज किया गया है, और उक्त प्रतिरूपण की प्रति प्रस्तुत करें

मेमोरी कार्ड और याचिकाकर्ता को प्रतिलिपि "।

6. मजिस्ट्रेट ने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से उक्त अनुलेखन को अनिवार्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार करना पीड़ित के सम्मान, शालीनता, पवित्रता और प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालना होगा और सार्वजनिक हित के खिलाफ भी होगा। 7.2.2018 दिनांकित आदेश का चींटी भाग इस प्रकार हैः

" दोनों पक्षों को विस्तार से सुना।

फुटेज और उसके बाद उन्होंने यह याचिका दायर की थी जिसमें अभियोजन पक्ष को प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कथित ऑडियो और वीडियो फुटेज और इसकी प्रतिलिपि। अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे अपमान बढ़ेगा।

पीड़ित को जिसने न केवल आरोपी बल्कि मीडिया के हाथों भी बहुत कुछ झेला था। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वीडियो की सामग्री देखने की अनुमति दी जा सकती है

मुकदमे के दौरान। यहाँ कथित अपराध एक महिला के सर्वोच्च सम्मान पर गंभीर प्रहार के समान है। ताकि सम्मान बनाए रखा जा सके,

शालीनता, पवित्रता, गरिमा और पीड़ित की प्रतिष्ठा, और जनहित में भी, मैं प्रार्थना को अस्वीकार कर रहा हूं। लेकिन कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सच्चाई के न्यायसंगत निर्धारण के लिए, याचिकाकर्ता को वीडियो की सामग्री का निरीक्षण करने की अनुमति है।

अदालत की सुविधा के अनुसार फुटेज "।

7. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी मामले को एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय (संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय') में Crl.M.C के माध्यम से ले गया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया और अपीलार्थी द्वारा दायर कथित आवेदन को खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने निर्णयों और उसके समक्ष उद्धृत प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि जब्त किया गया मेमोरी कार्ड केवल वह माध्यम था जिस पर कथित घटना दर्ज की गई थी और इसलिए यह स्वयं अपराध का परिणाम है। इसके अलावा, यह एक भौतिक उद्देश्य है और दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसे 1973 की संहिता की धारा 207 के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रासंगिक चर्चा को पैराग्राफ 41 से देखा जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 41. यह उस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है जिसका उत्तर इस मामले में दिया जाना है। जाहिर है, अभियोजन पक्ष के आरोप का सार यह है कि अपराध को दर्ज करने के उद्देश्य से किया गया था

मध्यम। मेमोरी कार्ड वह माध्यम है जिस पर इसे रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए, पुलिस द्वारा जब्त किया गया मेमोरी कार्ड ही अपराध का परिणाम है। यह मेमोरी कार्ड की सामग्री नहीं है जो है मेमोरी कार्ड के उत्पादन द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव। यौन शोषण के कृत्यों को पीड़ित और गवाहों की मौखिक गवाही से स्थापित किया जाना है। यह मेमोरी कार्ड से प्राप्त जानकारी भी नहीं है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित करने की मांग की गई है। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि कथित यौन शोषण किया गया था और इसे दर्ज किया गया था। यद्यपि, साक्ष्य के क्रम में, इसकी सामग्री को यह साबित करने के लिए स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है कि यह अभियुक्त द्वारा बनाया गया मेमोरी कार्ड था, जो अपराध के साथ-साथ मोबाइल पर समकालीन रूप से रिकॉर्ड किया गया था, जो अपने आप में अपराध को विस्थापित नहीं करता है।

42. उपरोक्त कानूनी प्रस्तावों का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से यह बताता है कि, इस मामले में प्रस्तुत मेमोरी कार्ड एक दस्तावेज नहीं है जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 307 [एस. आई. सी. 207 <आई. डी. 1] के तहत विचार किया गया है। वास्तव में, यह एक भौतिक वस्तु की प्रकृति में है। इसलिए, इसकी प्रति याचिकाकर्ता को जारी नहीं की जा सकती है।

43. अभियोजन पक्ष के पास एक मामला है कि, हालांकि अभियुक्त अपने अधिकारों का हकदार है, यह निरपेक्ष नहीं है और धारा 207 Cr.P.C के बाहर भी, धारा 207 Cr.P.C के तहत अधिकार के संबंध में प्रतिबंध हो सकते हैं। यह तर्क दिया गया था कि, यदि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान है

पीड़ित की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार अभियुक्त के वैधानिक अधिकार का स्थान ले लेगा। निश्चित रूप से, न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एक अन्य बनाम के मामले में। भारत संघ और ओआरएस। (2017) 10 एस. सी. सी. 1 (पृष्ठ 1 पर), उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार यह स्वतंत्रता और गरिमा की बुनियादी धारणाओं और कला के तहत स्पष्ट रूप से संरक्षित अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं की गणना से उत्पन्न होता है। 19 Art.21 को इसके विस्तृत दायरे से वंचित नहीं करता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, एक कानून की वैधता जो मौलिक [2019] 17 एस. सी. आर. का उल्लंघन करती है।

अधिकारों का परीक्षण राज्य के उद्देश्य के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए

कार्रवाई, लेकिन स्वतंत्रता की गारंटी पर इसके प्रभाव के आधार पर।

शेरिन वी. जॉन के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि, जब

एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष है और

किसी अन्य व्यक्ति के वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्रबल होते हैं। इस तरह के विवाद की संभावना भी पैदा हो सकती है। तब से

यह सवाल इस मामले में निष्कर्ष के आलोक में नहीं उठता है।

धारा 207 Cr.P.C के तहत मैं उस मुद्दे में प्रवेश करने का साहस नहीं करता।

44. पूरे मुद्दे पर विचार करने के बाद, मैं इसे बनाए रखने के लिए इच्छुक हूं सी. पी. में 2018 के Crl.M.P. No.49 में अदालत का आदेश।

2017 का No.16 आवेदन को खारिज करते हुए, हालांकि अलग-अलग

आधार। हालाँकि, यह न्यायालय को इससे नहीं रोकेगा

अभियुक्त को केवल न्यायालय में मेमोरी कार्ड देखने की अनुमति देना,

प्रतिबंधों के अधीन, रक्षा तैयार करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

8. अपीलार्थी ने असंतुष्ट होने के कारण बताते हुए कहा है कि

निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय का भी पक्ष लिया। अपीलार्थी व्यापक रूप से तर्क देता है कि अभियोजन पक्ष का मामला फोरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है जो बताती है कि मेमोरी कार्ड से आठ वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की गई थी और वीडियो फाइलों को पाया गया था 22 के बीच 17.2.2017 पर दर्ज किया गयाः 30: 55 घंटे। और 22: 48: 40 घंटे। इन्हें 09 के बीच 18.2.2017 पर बताए गए मेमोरी कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया थाः 18 घंटे। और 09: 20 घंटे। यह ध्यान दिया जाए कि मूल वीडियो रिकॉर्डिंग थी

कथित तौर पर आरोपी नंबर 1 द्वारा अपने निजी मोबाइल फोन पर किया गया, जिसे जांच एजेंसी द्वारा पेश नहीं किया गया है। हालाँकि, जिस मेमोरी कार्ड पर आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्डिंग को 18.2.2017 पर कॉपी किया गया था, उसे कथित तौर पर एक वकील द्वारा यह दावा करते हुए सौंप दिया गया था कि आरोपी नंबर 1 ने उसे दिया था। उन्होंने मेमोरी कार्ड पेश किया था।

20.2.2017 पर अदालत के समक्ष, जिसे राज्य एफ. एस. एल., तिरुवनंतपुरम में फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। फोरेंसिक जांच के बाद, उसे एफएसएल रिपोर्ट डीडी नंबर 91/2017 दिनांकित 3.3.2017 और डीडी नंबर 115/2017 दिनांकित 7.4.2017 के साथ वापस कर दिया गया। राज्य एफ. एस. एल. द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के साथ मेमोरी कार्ड से प्राप्त डेटा/दृश्यों वाला एक पेन ड्राइव भी संलग्न किया गया था।

9. चाहे जो भी हो, अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से इस पर निर्भर था

मेमोरी कार्ड की सामग्री जो कलम पर कॉपी की गई है

राज्य एफ. एस. एल. द्वारा उसके विश्लेषण के दौरान चलाया गया और पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। मेमोरी कार्ड की सामग्री, पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम।

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जो राज्य एफ. एस. एल. द्वारा बनाए गए पेन-ड्राइव में दोहराये जाते हैं, वे 1973 की संहिता और 1872 के अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक "दस्तावेज़" के अलावा और कुछ नहीं होंगे। और चूँकि अभियोजन पक्ष उसी पर भरोसा कर रहा था और अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ इसका उपयोग करने का प्रस्ताव रखता था, इसलिए न केवल धारा 207 के संदर्भ में बल्कि अभियुक्त/अपीलार्थी को इसकी सामग्री की एक प्रतिरूपित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य था।

173 (5) 1973 की संहिता, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष मुकदमे के लिए अभियुक्त के अधिकार को बनाए रखने के लिए भी। निचली अदालत ने अपीलार्थी के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पीड़ित की गोपनीयता और गरिमा को प्रभावित करेगा, जबकि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि मेमोरी कार्ड एक भौतिक वस्तु है न कि एक "दस्तावेज"। यह सर्वविदित है कि एक क्लोन की गई प्रति एक फोटोकॉपी नहीं है, बल्कि मूल की एक दर्पण छवि है, और आरोपी को अपने बचाव को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अधिकार है। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय अभियुक्त/अपीलार्थी को मेमोरी कार्ड की सामग्री की एक प्रतिरूपित प्रति प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन पक्ष को निर्देश जारी करते समय उचित शर्तें लगा सकता था।

पेन-ड्राइव की सामग्री को देखते हुए, उन्होंने यह धारणा जुटाई कि मेमोरी कार्ड की सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गई होगी, अपीलार्थी की कल्पना का अनुमान है और राज्य एफएसएल द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट (ओं) के विपरीत है। प्रतिवादी का निश्चित मामला यह है कि इस मामले में जब्त किया गया मेमोरी कार्ड जिसमें पीड़ित पर यौन हिंसा के दृश्य हैं, एक भौतिक वस्तु और पेन-ड्राइव है जिसमें मेमोरी कार्ड की सामग्री को प्रक्रिया के माध्यम से प्रलेखित किया गया था। राज्य एफ. एस. एल. द्वारा प्रतिलिपि बनाना और मेमोरी कार्ड और [2019] 17 एस. सी. आर. की सामग्री को जानने के लिए निचली अदालत की सहायता करने के उद्देश्य से अदालत को भेजना।

उक्त पेन-ड्राइव की सामग्री भौतिक वस्तु के साथ-साथ " दस्तावेज़ "। यह भी आग्रह किया जाता है कि पेन-ड्राइव की दृश्य सामग्री अपराध के होने का भौतिक प्रमाण होगी न कि

" पुलिस रिपोर्ट के साथ अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज। मेमोरी कार्ड या पेन-ड्राइव की सामग्री को अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है और ऐसा करना अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध होगा। इसके अलावा, यदि मेमोरी कार्ड की सामग्री की क्लोन की गई प्रति अभियुक्त/अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाती है, तो यह मानने का कारण है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा निष्पादित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा।

पीड़ित की निजता और गरिमा को कम करने की साजिश। यह आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थी ने यह तर्क देने के लिए कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है कि मेमोरी कार्ड की सामग्री को "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" माना जाना चाहिए और इसलिए, एक "दस्तावेज़" माना जाना चाहिए। उन निर्णयों में व्याख्या सामान्य टिप्पणियां हैं और अपीलार्थी के लिए कोई उपयोगी नहीं होगी। अपीलार्थी बलात्कार के अपराध के लिए अभियोजन का सामना कर रहा है और उसका मुकदमा विशेष अदालत के समक्ष बंद कमरे में होगा। पवित्रता बनाए रखने और पीड़ित की गोपनीयता, गरिमा और पहचान को बनाए रखने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि ऐसे मामलों में अभियुक्त/अपीलकर्ता निचली अदालत के समक्ष सीमित राहत की मांग कर सकता है ताकि उसे और उसके वकील या किसी विशेषज्ञ को अदालत में या अधिक से अधिक पेन-ड्राइव की सामग्री को देखने की अनुमति मिल सके।

उसे अपने द्वारा पूछे गए संदेहों के संबंध में खुद को आश्वस्त करने के लिए विशेषज्ञ की दूसरी राय लेने की अनुमति देना। इस तरह की संलिप्तता वीडियो/ऑडियो फुटेज/क्लिपिंग की क्लोन की गई प्रति के दुरुपयोग की संभावना को दूर कर देगी और यह एक निवारक उपाय की प्रकृति में होगा, जबकि आरोपी को बचाव करने का उचित अवसर मिलेगा।

योग्यता से रहित होने के कारण बर्खास्त किया जाए। 11. जैसा कि ऊपर कहा गया है, दोनों पक्षों ने इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के रिपोर्ट किए गए निर्णयों और इसके प्रावधानों पर भरोसा किया है

प्रस्तुतियों को समर्थन देने के लिए प्रासंगिक अधिनियम। हम आवश्यकतानुसार इसका उल्लेख करेंगे।

12. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी, श्री रंजीत कुमार को सुना है, जो अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील हैं।

प्रतिवादी-राज्य और श्री आर. बसंत, हस्तक्षेपकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील।

13. केंद्रीय मुद्दा जाँच के दायित्व के बारे में है।

पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम की धारा 207 के तहत पुलिस रिपोर्ट से निपटने के दौरान 1973 की संहिता की धारा 173 और मजिस्ट्रेट से संबंधित अधिकारी।

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिस तारीख को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा जानकारी दर्ज की गई थी, उस तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया गया। जाँच अधिकारी जाँच पूरी करने के बाद, पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति मजिस्ट्रेट को भेजने के लिए बाध्य है जो ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। पुलिस रिपोर्ट के साथ, जांच अधिकारी भी कर्तव्य है कि वह पुलिस को अग्रेषित करे। मजिस्ट्रेट "सभी दस्तावेज" या उनके प्रासंगिक उद्धरण, जिन पर अभियोजन पक्ष जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को भेजे गए दस्तावेजों के अलावा अन्य पर भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। इसी तरह, धारा के तहत दर्ज किए गए बयान

161 जिन सभी व्यक्तियों से अभियोजन पक्ष अपने गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना आवश्यक है।

पुलिस रिपोर्ट। वास्तव में, यह पुलिस अधिकारी के लिए खुला है, यदि उसकी राय में, "बयान" का कोई भी हिस्सा कार्यवाही की विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक नहीं है या आरोपी को इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है। न्याय के हित में और सार्वजनिक हित में अनुचित है, "बयान" के उस हिस्से को इंगित करना और मजिस्ट्रेट से अनुरोध करते हुए एक नोट जोड़ना कि वह उस हिस्से को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर कर दे और ऐसा अनुरोध करने के लिए उसके कारण बताए। हालाँकि, वह विवेकाधिकार उसे "दस्तावेजों" या उसके प्रासंगिक उद्धरणों के संबंध में नहीं दिया गया है, जिन पर अभियोजन पक्ष के खिलाफ भरोसा करने का प्रस्ताव है।

संबंधित अभियुक्त। जहां तक दस्तावेजों का संबंध है, उप-धारा (7) जांच अधिकारी को, यदि उसकी राय में ऐसा करना सुविधाजनक है, तो उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी दस्तावेज की प्रतियां अभियुक्त को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। धारा 173, जैसा कि संशोधित और वर्तमान मामले पर लागू होता है, इस प्रकार हैः

" 173. पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

जांच पड़ताल की। — (1) इस अध्याय के तहत प्रत्येक जांच

बिना अनावश्यक विलम्ब के पूरा किया जाए। (1 ए) धाराओं के तहत अपराध के संबंध में जांच

376 , 376 भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीबी या 376 ई उस तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा जिस दिन सूचना दर्ज की गई थी।

पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा।

(2) (i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें कहा गया है कि

(क) पक्षकारों के नाम;

((ख) सूचना की प्रकृति;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम जो परिचित प्रतीत होते हैं।

मामले की परिस्थितियों के साथ;

((घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है।

और, यदि हां, तो किसके द्वारा;

(ई) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया है और, यदि हां,

चाहे प्रतिभू के साथ हो या बिना;

(छ) क्या उसे धारा के तहत हिरासत में भेज दिया गया है।

170 ;

(ज) क्या महिला की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है जहां जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 376,376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या धारा 376 ई के तहत अपराध से संबंधित है।

दंड संहिता (1860 का 45)।

(3) जहां धारा 158 के तहत पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, वहां रिपोर्ट, किसी भी मामले में जिसमें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, और वह मजिस्ट्रेट के आदेशों को लंबित रखते हुए, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है। (4) जब भी इस धारा के तहत भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके मुचलके पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे मुचलके के निर्वहन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे।

. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(5) जब ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मामले के संबंध में हो जिसके लिए धारा 170 लागू होती है, पुलिस अधिकारी को आगे भेजा जाएगा

मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के साथ

(क) सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक उद्धरण

जिन पर अभियोजन पक्ष इसके अलावा भरोसा करने का प्रस्ताव करता है जिन्हें पहले ही मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा चुका है

जाँच;

(ख) धारा 161 के तहत दर्ज किए गए सभी बयान

जिन व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष प्रस्तावित करता है

गवाह के रूप में जाँच करें।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि किसी भी हिस्से का

ऐसा कथन विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक नहीं है -

कार्यवाही या कि अभियुक्त को इसका खुलासा नहीं किया गया है

न्याय के हित में आवश्यक है और इसमें अक्षम है

लोक हित में, वह इंगित करेगा कि

बयान दें और मजिस्ट्रेट से अनुरोध करते हुए एक नोट संलग्न करें

उस भाग को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर करने के लिए

ऐसा करने के लिए सुविधाजनक, वह अभियुक्त प्रतियों को प्रस्तुत कर सकता है उप-धारा में निर्दिष्ट सभी या किसी भी दस्तावेज का

(5) .

(8) इस धारा की कोई भी बात आगे बाधा नहीं मानी जाएगी।

उप के तहत एक रिपोर्ट के बाद एक अपराध के संबंध में जांच

धारा (2) मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की गई है और जहां

ऐसी जाँच, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी

और सबूत, मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है, वह आगे बढ़ाएगा

मजिस्ट्रेट को इस संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट

निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य; और उप के प्रावधान

धारा (2) से धारा (6), जहाँ तक हो सके, के संबंध में लागू होगी -

ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट जो वे किसी रिपोर्ट के संबंध में लागू होती हैं

उप-धारा (2) "के तहत अग्रेषित।

(जोर दिया गया)

14. सहमति से, उन "दस्तावेजों" के संबंध में जिन पर

क्यूशन भरोसा करने का प्रस्ताव रखता है, जांच अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं है लेकिनपुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को "सभी दस्तावेज" सौंपें।

ई ("बयानों" के मामले के विपरीत) कोई प्रावधान नहीं है जो संबंधित अधिकारी को मजिस्ट्रेट से अनुरोध करने वाले एक नोट को [2019] 17 एस. सी. आर. में जोड़ने में सक्षम बनाता है।

अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों में से उसके किसी भी हिस्से ("दस्तावेज़") को हटा दें। उप-धारा (7), हालांकि, जांच अधिकारी को सभी या कुछ प्रतियों को अग्रेषित करने के लिए सीमित विवेकाधिकार देती है।

दस्तावेज़, जिन्हें वह अभियुक्त को देना सुविधाजनक समझता है। यह उसे शेष दस्तावेजों को रोकने की अनुमति नहीं देता है, जिन पर अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर, 1973 की संहिता की धारा 173 (5) (ए) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि जांच अधिकारी "सभी" को अग्रेषित करने के लिए बाध्य है।

दस्तावेज़ या प्रासंगिक उद्धरण जिन पर अभियोजन पक्ष प्रस्ताव करता है मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ संबंधित आरोपी के खिलाफ भरोसा करें।

15. पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ मिलने पर

1973 की संहिता की धारा 207 के आधार पर बयान और दस्तावेज, मजिस्ट्रेट तब अभियुक्त को प्रत्येक बयान और दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। धारा 207 इस प्रकार है:

207. अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति और

अभियुक्त को प्रत्येक की एक प्रति निःशुल्क प्रस्तुत करें। निम्नलिखितः

((i) पुलिस रिपोर्ट;

((ख) धारा 154 के अधीन अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट।

((ग) धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए उन सभी व्यक्तियों के बयान, जिनसे अभियोजन पक्ष अपने गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है, जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उप-धारा (6) के तहत इस तरह के बहिष्कार का अनुरोध किया गया है।

((iv) निम्नलिखित के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और बयान, यदि कोई हों,

धारा 164;

(v) कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक उद्धरण

पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया

धारा 173 की उप-धारा (5):

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, ऐसे किसी भाग को देखने के बाद

खंड (iii) में निर्दिष्ट कथन का और पी. गोपालकृष्णन @दिलीप v पर विचार करना।

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों में निर्देश दिया गया है कि बयान के उस हिस्से या उसके ऐसे हिस्से की एक प्रति, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझता है, अभियुक्त को प्रस्तुत की जाएगीः

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो कि कोई

खंड (v) में निर्दिष्ट दस्तावेज विशाल है, वह अभियुक्त को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करने के बजाय यह निर्देश देगा कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

अदालत में "।

बयानों के संबंध में, पहला परंतुक सक्षम बनाता है

धारा 173 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट सूचना और जाँच अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कारणों से संतुष्ट होने पर मजिस्ट्रेट खंड (iii) में निर्दिष्ट उसके किसी भी हिस्से को अभियुक्त से रोक सकता है। हालांकि, जब पुलिस रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की बात आती है, तो मजिस्ट्रेट केवल खंड (v) में निर्दिष्ट ऐसे दस्तावेज को रोक सकता है, जो उसकी राय में "विशाल" है। उस मामले में, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या संबंधित दस्तावेज़ का निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है।

अदालत में अपने वकील के माध्यम से। दूसरे शब्दों में, 1973 की संहिता की धारा 207 मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किसी भी "दस्तावेज" को रोकने का अधिकार नहीं देती है।

जब यह विशाल होता है। एक दुर्भाग्य से, यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि भले ही जांच अधिकारी किसी विशेष मामले के संबंध में अपना नोट जोड़ता है। दस्तावेज़, जिसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उसकी शक्ति 1973 की संहिता की धारा 173 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट 'बयानों' के संबंध में ही सीमित है।

16. जो भी हो, इस स्तर पर धारा 207 के तहत मजिस्ट्रेट का कर्तव्य प्रशासनिक कार्य की प्रकृति में है, जिसके तहत वह

धारा का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। हम उपयोगी रूप से इस उक्ति का विज्ञापन कर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि "हरदिप सिंह बनाम।" पंजाब राज्य 'जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" 47. चूँकि आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद, अदालत जांच के चरण में पहुँच जाती है और जैसे ही अदालत आरोप तय करती है, मुकदमा शुरू हो जाता है, और इसलिए, धारा 319 (1) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग आरोप-पत्र दायर करने के बाद और निर्णय की घोषणा से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इस अवधि के दौरान धारा 207/208 सी. आर. पी. सी., कमिटल, आदि का चरण जो केवल

1 (2014) 3 एस. सी. सी. 92 [2019] 17 एस. सी. आर.

एक पूर्व-परीक्षण चरण, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को गति देना है। यह इसके लिए सही मायने में न्यायिक कदम नहीं कहा जा सकता है।

न्यायिक के बजाय केवल दिमाग के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है

मन का अनुप्रयोग। मुकदमे से पहले के इस चरण में, मजिस्ट्रेट

प्रशासनिक प्रकृति के कार्य करने की आवश्यकता होती है

न्यायिक के बजाय काम करना जैसे कि अनुपालन सुनिश्चित करना

धारा 207 और 208 सी. आर. पी. सी., और मामले को प्रतिबद्ध करना यदि यह है

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य

(जोर दिया गया)

तरुण त्यागी बनाम सी. बी. आई. 2 के एक अन्य मामले में, यह न्यायालय

1973 की संहिता की धारा 207 के उद्देश्य पर विचार किया गया और निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 8. धारा 207 अभियोजन पक्ष को प्रस्तुत करने का दायित्व देती है। अभियुक्त को, निः शुल्क, उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ

उसमें, बिना किसी देरी के। इसमें दस्तावेज या प्रासंगिक शामिल हैं।

उसके उद्धरण जो पुलिस द्वारा भेजे जाते हैं

अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है संहिता की धारा 238 के अनुसार मुकदमे की शुरुआत

मजिस्ट्रेट को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए वारंट करता है कि

धारा 207 का पालन किया गया है। धारा 207 का प्रावधान

अभियुक्त को उसकी प्रति के साथ, मजिस्ट्रेट अनुमति दे सकता है अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से इसका निरीक्षण करने के लिए

अदालत "।

17. यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि जब क़ानून है

स्पष्ट रूप से, न्यायालय को नेल्सन मोटीस बनाम में बताए गए परिणामों की परवाह किए बिना स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ अपनाना चाहिए। भारत संघ 3. 1973 की संहिता की धारा 207 को केवल पढ़ने पर, कोई अन्य व्याख्या संभव नहीं है।

18. जो भी हो, अभियुक्त को दस्तावेज़ प्रस्तुत करना।

1973 की संहिता की धारा 207 के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त के अधिकार का एक पहलू है। सिद्धार्थ में 2 (2017) 4 एस. सी. सी. 490

3 (1992) 4 एस. सी. सी. 711 पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]इश्त @मनु शर्मा बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 1, इस न्यायालय ने इस प्रकार आदेश दियाः

" 218. किसी अभियुक्त की स्वतंत्रता में कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति मुकदमे में निष्पक्षता को शामिल करेगी। अदालत (एसआईसी कोड) देता है अभियुक्त को सभी दस्तावेजों और बयानों को प्राप्त करने के साथ-साथ अपने मामले के समर्थन में किसी भी अभिलेख या गवाह को पेश करने के लिए आवेदन करने का अधिकार। यह संवैधानिक जनादेश और

अभियुक्त को दिए गए वैधानिक अधिकार अभियोजन पक्ष (अभियोजन पक्ष और अभियोजक) पर एक निहित दायित्व रखते हैं कि वे

219. विशेष रूप से प्रकटीकरण के संबंध में अभियोजक की भूमिका और दायित्व को हमारे कानून के तहत अंग्रेजी प्रणाली के तहत प्रचलित भूमिका के बराबर नहीं माना जा सकता है। लेकिन साथ ही, निष्पक्ष सुनवाई की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह अलग-अलग परिणामों का हो सकता है जहां एक दस्तावेज जिसे संदिग्ध रूप से, धोखाधड़ी से या जांच के दौरान आरोपी को अनुचित लाभ पहुँचाकर प्राप्त किया गया है। अभियोजक के विवेक से अभियुक्त को इनकार किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ऐसे दस्तावेजों पर निर्भर करता है या नहीं, हालांकि अन्य मामलों में खुलासा करने का दायित्व अधिक होगा।

निश्चित है। जैसा कि पहले ही धारा 207 के प्रावधानों पर ध्यान दिया जा चुका है।

इस विषय पर एक सामग्री है और एक बनाते हैं पढ़ना दिलचस्प है। यह प्रावधान न केवल आवश्यक है या

आदेश दें कि अदालत बिना किसी देरी के और बिना किसी लागत के

अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान, इकबालिया बयान

धारा 161 के तहत दर्ज किए गए व्यक्तियों के बयान जिनका अभियोजन पक्ष गवाह के रूप में परीक्षण करना चाहता है, निश्चित रूप से, बयान या दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को छोड़कर

संहिता की धारा 173 (6) के तहत विचार किया गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक उद्धरण

धारा 173 की उप धारा (5) के तहत पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया। धारा 173 के प्रावधानों के विपरीत, जहां विधायिका ने "दस्तावेज जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है, संहिता की धारा 207 के तहत उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए संहिता की धारा 207 के प्रावधानों को उदार और प्रासंगिक अर्थ देना होगा ताकि इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इतना ही नहीं, धारा के तहत रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

173 (5) उन दस्तावेजों को शामिल करना होगा जिन्हें इस दौरान मजिस्ट्रेट को भेजा जाना है

की धारा 170 (2) की आवश्यकता के अनुसार जाँच

कोड।

220. दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में अभियुक्त का अधिकार एक सीमित अधिकार है लेकिन यह संहिताबद्ध है और एक निष्पक्ष जांच और मुकदमे की नींव है। ऐसे मामलों में, अभियुक्त पुलिस फाइल के प्रत्येक दस्तावेज या यहां तक कि उन भागों का दावा करने के लिए एक अक्षम्य कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जो हैं - न्यायालय के आदेशों के अनुसार धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट से संलग्न दस्तावेजों से बाहर किए जाने की अनुमति दी गई। लेकिन अभियुक्त के कुछ अधिकार संहिताबद्ध कानून के साथ-साथ संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की न्यायसंगत अवधारणाओं दोनों से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन अभियुक्त को निराश करेगा।

एक निष्पक्ष मुकदमे का आधार। धारा 173 के प्रावधानों के साथ पठित धारा 207,243 के दायरे के भीतर दस्तावेजों का दावा करना और संहिता की धारा 91 के तहत दस्तावेजों को बुलाने की अदालत की शक्ति का अर्थ है और वे उपदेश प्रदान करते हैं।

जो अभियुक्त के उस बयान और दस्तावेजों की प्रतियों का दावा करने के अधिकार को नियंत्रित करेगा जो अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान एकत्र किए हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं। 221. न्यायालय के लिए यह कहना कठिन होगा कि अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या न्यायालय से एक दस्तावेज पेश करने का अनुरोध करने का कोई अधिकार नहीं है जो सामान्य डायरी का हिस्सा है, बशर्ते कि उसमें बताए गए कानून के मूल अवयवों को संतुष्ट किया जा सके।

एक दस्तावेज जो प्रामाणिक रूप से प्राप्त किया गया है और अभियोजन पक्ष के मामले पर असर डालता है और लोक अभियोजक की राय में, उसी का खुलासा अभियुक्त के सामने किया जाना चाहिए।

गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्याय और निष्पक्ष जांच और मुकदमे का हित होना चाहिए

अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया। फिर उस दस्तावेज़ का खुलासा किया जाना चाहिए।

अभियुक्त को उसे निष्पक्ष बचाव का मौका देना, विशेष रूप से

जब इस तरह के दस्तावेज़ को प्रस्तुत या प्रकट नहीं किया जाएगा

आपराधिक न्याय के प्रशासन और बचाव को प्रभावित करता है

पूर्वाग्रह से आरोपित किया गया "।

(जोर दिया गया)

19. इसी तरह, वी. के. शशिकल बनाम. राज्य ', इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 21. इसलिए हमारे सामने जो मुद्दा सामने आया है, वह कुछ हद तक ऐसा है

राज्य द्वारा जो अनुमान लगाया गया है उससे बड़ा और क्या है उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया। उठ रहा है सवाल

अब अनुपालन या गैर-अनुपालन में से एक नहीं

धारा 207 सी. आर. पी. सी. के प्रावधान और उससे आगे की यात्रा करेंगे के प्रावधानों की सख्त भाषा की सीमाएँ

Cr.PC और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष के बड़े सिद्धांत पर स्पर्श करें

मुकदमा जो अदालतों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया है

संविधान के अनुच्छेद 21 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या।

यह अनुरोध करने का चरण नहीं है; समय का प्रवाह है।

जो हुआ है या अभियुक्त का पूर्व आचरण है

सामग्री। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी दी गई स्थिति में

अभियुक्त अदालत में यह तर्क देते हुए आता है कि कुछ कागजात

जाँच एजेंसी द्वारा अदालत को नहीं भेजा गया है

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के पक्ष में समान रूप से प्रदर्शित किया गया

अदालत को अभियुक्त को पहुँच प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार करना चाहिए उक्त दस्तावेजों के लिए, यदि ऐसा दावा किया जाता है। यह, हमारे अनुसार,

मामले में मुख्य मुद्दा जिसका सकारात्मक जवाब दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में, हम यह कहने में विशिष्ट होना चाहेंगे कि हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होना मुश्किल है

कि अभियुक्त को निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए पूर्वाग्रह की याचिका का परीक्षण करने के लिए मुकदमा जो उसने उठाया होगा। इस तरह

मुकदमे का समापन, भले ही इसे द्वारा उठाया जा सकता है देर से आरोप लगाया। इस तरह हमारे अपराधी में न्याय का पैमाना है

न्यायशास्त्र को संतुलित करना होगा।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. अगला मौलिक प्रश्न हैः क्या विषय वस्तुएँ

पुलिस के साथ अदालत में प्रस्तुत मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव रिपोर्ट को "दस्तावेज़" के रूप में माना जा सकता है। निर्विवाद रूप से, यदि मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री को "दस्तावेज" के रूप में नहीं माना जाना है, तो धारा 207 के आधार पर अभियुक्त को प्रस्तुत करने का प्रश्न है।

1973 की संहिता की धारा 173 के साथ पठित होने पर यह उत्पन्न नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे सामने किसी का मामला नहीं है कि मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री को 1973 की संहिता की धारा 173 (5) (बी) के लिए "कथन" के रूप में माना जाए। विशेष रूप से, धारा 207 के तहत आदेश आरोपी को "बयान" या "दस्तावेज" प्रस्तुत करना है, जैसा कि मामला हो सकता है, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा पुलिस के साथ प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट, जहाँ अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ उसी पर भरोसा करने का प्रस्ताव करता है।

21. उच्च न्यायालय ने पहले कुछ निर्णयों को स्वीकार किया था

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मेमोरी कार्ड एक भौतिक वस्तु होगी। के लिए

उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, उच्च न्यायालय ने द किंग बनाम में यूनाइटेड किंगडम की राजा की पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। डे, जिसमें डार्लिंग जे. ने बहुमत की राय को जोड़ते हुए इस प्रकार कहा थाः

> 66 ... .लेकिन मुझे खुद कहना चाहिए कि कोई भी लिखित चीज सक्षम है।
>
> साक्ष्य होने को एक दस्तावेज के रूप में उचित रूप से वर्णित किया गया है और
>
> कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेखन क्या उत्कीर्ण किया जा सकता है।
>
> इसे कागज पर अंकित किया जा सकता है, जैसा कि अब आम मामला है।
>
> लेकिन एक बार आम मामला यह था कि यह कागज पर नहीं था, लेकिन चर्मपत्र पर; और उससे बहुत पहले यह पत्थर पर था,
>
> एक कागजी लेखन बनें। मुझे कहना चाहिए कि यह एक दस्तावेज है। यह कौन सी सामग्री है, बशर्ते यह लिखने या छापने में सक्षम हो।
>
> सबूत होने का "।

(जोर दिया गया)

उच्च न्यायालय ने चांसरी न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया

ग्रांट और एक अन्य वी। साउथवेस्टेर एंड काउंटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड

और एक अन्य ', जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गयाः

6 (1908) 2 के. बी. 333

7 (1975) च.

185 पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" ऐसे कई मामले हैं जिनमें "दस्तावेज़" शब्द के अर्थ पर अलग-अलग परिस्थितियों में चर्चा की गई है। इस तरह के मामलों का संक्षेप में उल्लेख करने से पहले, मुझे लगता है कि यह सुविधाजनक होगा

ध्यान रखें कि इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन से हुई है।

" दस्तावेज़ ": यह कुछ ऐसा है जो निर्देश देता है या प्रदान करता है

(1621) , इसका मतलब एक सबक था। द शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इस शब्द का चौथा अर्थ निम्नलिखित हैः कुछ तो है लिखित, उत्कीर्ण, आदि, जो साक्ष्य या जानकारी प्रदान करता है

किसी भी विषय पर, एक पांडुलिपि, शीर्षक-विलेख, सिक्का, आदि के रूप में, और यह प्रासंगिक उद्धरण के रूप में प्रस्तुत करता हैः - " ये भित्ति चित्र हैं।

दस्तावेज़ के रूप में अमूल्य हो जाते हैं ", लेखक श्रीमती अन्ना हैं।

ब्राउनेल जेम्सन जो 1794 से 1860 तक जीवित रहे।

मुझे लगता है कि जिन अधिकारियों को मैं संदर्भित करने वाला हूं, उनके पास है

लगातार सूचना प्रस्तुत करने पर जोर दिया-निहित रूप से

दस्तावेज़ के अलावा-एक दस्तावेज़ के मुख्य कार्यों में से एक होने के रूप में। वास्तव में, इन रे एल्डरटन एंड बैरीज़ एप्लीकेशन (1941) 59 आर. पी. सी. 56 में, मॉर्टन जे. स्पष्ट रूप से

संदेह है कि क्या खाली श्रमिकों की समय-पत्रियों को पेटेंट और डिजाइन की धारा 11 (1) (बी) के भीतर दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

अधिनियम 1907-1939 स्पष्ट रूप से क्योंकि उनकी मूल स्थिति में वे किसी को भी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी।

उपरोक्त व्याख्याओं से इसका सुरक्षित अनुमान लगाया जा सकता है।

कि लेख को "दस्तावेज़" के रूप में वर्गीकृत करने का आधार इस बात पर निर्भर करता है कि

ऐसी जानकारी जो उत्कीर्ण हो न कि उस स्थान पर जहाँ वह उत्कीर्ण हो। यह हो सकता है

भाषणों के टेप रिकॉर्ड और संक्षिप्त सहित ऑडियो/वीडियो कैसेट को धारण करने वाले इस न्यायालय के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञापन देना उपयोगी होगा।

डिस्क 1 0 10 1872 के अधिनियम की धारा 3 के तहत "दस्तावेज" थे, जो स्थायी हैं।

तस्वीरों की तुलना में कोई अलग आधार नहीं है और साक्ष्य में स्वीकार्य हैं। यह अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 1872 अधिनियम की धारा 3 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य है।

8 तुकाराम एस. दिघोले बनाम। माणिकराव शिवाजी कोकाटे, (2010) 4 एस. सी. सी. 329 9 जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम। बृजमोहन रामदास मेहरा और अन्य। , (1976) 2 एससीसी 17

10 शमशेर सिंह वर्मा बनाम। हरियाणा राज्य, (2016) 15 एस. सी. सी. 485 1 अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473 [2019] 17 एस. सी. आर.

22. राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण को याद करना उचित है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता एक चालू क़ानून है। किसी कानून के मामले में, यह माना जाता है कि संसद ने न्यायालय का इरादा किया थाएक निर्माण चलाएँ जो लटकने की अनुमति देने के लिए अपने शब्दों को लगातार अपडेट करता है और समकालीन स्थिति के साथ संगत है। उक्त निर्णय के ग्राफ 14 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 14. यह भी याद रखना चाहिए कि अपराधी

प्रक्रिया संहिता एक चालू क़ानून है। के सिद्धांत

एक चल रहे क़ानून की व्याख्या को बहुत संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है

प्रमुख न्यायविद फ्रांसिस बेनिओन ने अपनी टिप्पणियों में

शीर्षक सांविधिक व्याख्या, द्वितीय संस्करण। , पी। 617 :

आवश्यक रूप से अपने समय में अंतर्निहित है, फिर भी इसे वर्तमान के रूप में मानने की आवश्यकता के अनुसार माना जाना चाहिए। कानून।

***

एक चालू अधिनियम का अर्थ लगाने में, दुभाषिया को यह मान लेना है कि संसद का इरादा इस अधिनियम को भविष्य में किसी भी समय इस तरह से लागू करना था ताकि मूल इरादे को प्रभावी बनाया जा सके। तदनुसार, दुभाषिया को अधिनियम के पारित होने के बाद से, कानूनी रूप से, सामाजिक स्थितियों, प्रौद्योगिकी, शब्दों के अर्थ और अन्य मामलों में हुए किसी भी प्रासंगिक परिवर्तन के लिए अनुमति देनी होती है। आज के निर्माण में यह धारणा शामिल है कि संसद बहुत पहले ऐसी स्थिति को पूरा कर रही थी जो तब मौजूद नहीं थी, उस निर्माण के खिलाफ कोई तर्क नहीं है। संसद से, एक अधिनियम के शब्दों में, अस्थायी विकास का अनुमान लगाने की उम्मीद की जाती है। मसौदा तैयार करने वाला भविष्य का पूर्वानुमान लगाएगा और शब्दों में इसकी अनुमति देगा।

***

इस प्रकार पूर्व दिनों का एक अधिनियम आज पढ़ा जाना चाहिए, वर्षों से प्राप्त गतिशील प्रसंस्करण के प्रकाश में, इस तरह के साथ

-3) 4 एस. सी. सी. 601 पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसके भाषा के वर्तमान अर्थ का संशोधन जैसा कि अब होगा

मूल विधायी इरादे को प्रभावी बनाना। वास्तविकता और

गतिशील प्रसंस्करण का प्रभाव क्रमिक रूप से प्रदान करता है

समायोजन। इसका गठन न्यायिक व्याख्या, वर्ष द्वारा किया जाता है।

वर्ष में और बाहर। इसमें कार्यपालक द्वारा प्रसंस्करण भी शामिल है।

अधिकारी "। " " "

(जोर दिया गया)

23. जैसा कि ऊपर कहा गया है, उत्तरदाता और हस्तक्षेपकर्ता तर्क देंगे

कि मेमोरी कार्ड एक भौतिक वस्तु है न कि एक "दस्तावेज़"। यदि अभियोजन पक्ष को केवल मेमोरी कार्ड की वसूली पर भरोसा करना था

और इसकी सामग्री पर नहीं, इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी

प्रतिवादी/हस्तक्षेपकर्ता का तर्क कि मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव एक भौतिक वस्तु है। इस संबंध में, हम फिपसन का उल्लेख कर सकते हैं

साक्ष्य 1 3, और विशेष रूप से, निम्नलिखित अनुच्छेदः

" जिस उद्देश्य के लिए इसका उत्पादन किया जाता है वह निर्धारित करता है कि क्या

किसी दस्तावेज़ को दस्तावेजी साक्ष्य माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब अपनी शारीरिक स्थिति को साबित करने के लिए जोड़ा जाता है,

एक परिवर्तन, एक हस्ताक्षर की उपस्थिति, रक्त के धब्बे या

फिंगरप्रिंट, यह वास्तविक प्रमाण है। तो भी, अगर इसकी प्रासंगिकता निहित है

इस सरल तथ्य में कि यह मौजूद है या एक बार मौजूद था या इसका

दस्तावेज़, यदि बिल्कुल भी प्रासंगिक है, तो केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह स्थापित करने के लिए कि विचाराधीन दस्तावेज़ एक है

लीज पर दिया। जब किसी दस्तावेज़ की प्रासंगिकता इस पर निर्भर करती है कि इसकी सामग्री का अर्थ, इसे वृत्तचित्र माना जाता है

सबूत "।

(जोर दिया गया)

फिर से उसी पुस्तक के पृष्ठ 5 पर "वास्तविक" की परिभाषा दी गई है।

साक्ष्य 1 4 "निम्नानुसार दिया गया हैः

" निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के अलावा अन्य सामग्री वस्तुएँ

न्यायालय के साक्ष्य को आमतौर पर वास्तविक साक्ष्य कहा जाता है। यह, जब

उपलब्ध है, शायद सबसे संतोषजनक प्रकार है, क्योंकि, बचत करें

पहचान या स्पष्टीकरण के लिए, न तो गवाही और न ही अनुमान

13 1 3 हॉज एम. मालेक, फिपसन ऑन एविडेंस, 19 वां संस्करण, 2018, पृष्ठ। 1450 14 हॉज एम. मालेक, फिपसन ऑन एविडेंस, 19 वां संस्करण, 2018, पृष्ठ।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्भर है। जब तक कि इसकी वास्तविकता विवाद में न हो [बेल्ट बनाम लॉज़, द टाइम्स, 17 नवंबर 1882 देखें।] , बात अपने लिए बोलती है।

दुर्भाग्य से, हालांकि, "वास्तविक साक्ष्य" शब्द अपने आप में अनिश्चित और अस्पष्ट दोनों है, जिसका उपयोग तीन अलग-अलग शब्दों में किया गया है। इन्द्रियाँः

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत सामग्री। यह "वास्तविक" का दूसरा और सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत अर्थ है। सबूत "। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लेन-देन के रिकॉर्ड के रूप में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज़, जैसे कि एक हस्तांतरण और एक दस्तावेज़ के बीच एक अंतर है। यह निर्भर करता है कि

जिन परिस्थितियों में यह वर्गीकरण में आता है। उदाहरण के लिए, किसी दस्तावेज़ को चुराने के आरोप में दस्तावेज़ एक चीज है।

(3) ....

एक प्राथमिकता के रूप में, हमें यह मानना चाहिए कि वीडियो फुटेज/क्लिपिंग में सी. एच. मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जैसा कि परिकल्पना की गई है।

2000 के अधिनियम की धारा 2 (1) (टी) एक "दस्तावेज" है और इसे एक भौतिक उद्देश्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। 2000 अधिनियम की धारा 2 (1) (टी) में कहा गया है -

" 2 (1) (टी) "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि या ध्वनि संग्रहीत, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक में भेजा गया।

फॉर्म या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर-जनरेटेड माइक्रो फिशे; 24. जैसा कि उपरोक्त परिभाषा डेटा या उत्पन्न डेटा को संदर्भित करती है, छवि

यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत, प्राप्त या भेजा जाता है, तो यह अनुभाग में वर्णित "डेटा" की परिभाषा का विज्ञापन करने के लिए साइट होगी।

पी) उसी अधिनियम के। वह इस प्रकार हैः

" 2 (1) (0) " डेटा "का अर्थ है सूचना, ज्ञान का प्रतिनिधित्व,

तथ्य, अवधारणाएँ या निर्देश जो तैयार किए जा रहे हैं या हैं

एक औपचारिक तरीके से तैयार किया गया है, और इसका इरादा है संसाधित किया जा रहा है या एक में संसाधित किया गया है

कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क, और किसी भी रूप में हो सकता है

(कंप्यूटर प्रिंटआउट चुंबकीय या ऑप्टिकल भंडारण मीडिया, पंच्ड कार्ड, पंच्ड टेप) या मेमोरी में आंतरिक रूप से संग्रहीत

कंप्यूटर का; "पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रासंगिक प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल "डेटा" तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह

इसका अर्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप में उत्पन्न, प्राप्त या भेजा गया अभिलेख या डेटा भी है। "डेटा" अभिव्यक्ति में जानकारी, ज्ञान और तथ्यों का प्रतिनिधित्व शामिल है, जिसे या तो संसाधित करने का इरादा है, संसाधित किया जा रहा है या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया गया है या कंप्यूटर की स्मृति में आंतरिक रूप से संग्रहीत किया गया है। 25. उपरोक्त परिभाषाओं पर ध्यान देने के बाद, अब हम 1872 के अधिनियम की धारा 3 में व्याख्या खंड होने के कारण "दस्तावेज़" और "साक्ष्य" की परिभाषाओं की ओर रुख कर सकते हैं। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 3. व्याख्या खंड।

दस्तावेज़। - " दस्तावेज़ "का अर्थ है व्यक्त किया गया कोई भी मामला या

अक्षरों, आकृतियों के माध्यम से किसी भी पदार्थ पर वर्णित या

चिह्न, या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से, जिसका उपयोग करने का इरादा है, या जिसका उपयोग उस मामले को दर्ज करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

दृष्टांत

लेखन एक दस्तावेज है;

मुद्रित, शिलालेखित या फोटोग्राफ किए गए शब्द दस्तावेज़ हैं;

एक नक्शा या योजना एक दस्तावेज़ है;

धातु की प्लेट या पत्थर पर एक शिलालेख एक दस्तावेज़ है;

एक कैरिकेचर एक दस्तावेज़ है।

सबूत। - " साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं

(1) जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय द्वारा अनुमति दिए गए या किए जाने की आवश्यकता वाले सभी बयानों को मौखिक बयान कहा जाता है।

सबूत;

(2) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज

न्यायालय का निरीक्षण,

ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।

"साक्ष्य" की परिभाषा को नंगे पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से सभी दस्तावेजों को शामिल करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य को अपने तह में लेता है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित। हालाँकि, हमें मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री की स्वीकार्यता के सवाल पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, वही [2019] 17 एस. सी. आर. होना चाहिए।

1872 के अधिनियम की धारा 65 बी के आधार पर बनाया गया। वही पढ़ता है

" 65 बी. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता। - (1)

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित कोई भी जानकारी जो कागज पर छपी हो, कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय माध्यम में संग्रहीत, रिकॉर्ड या प्रतिलिपि (इसके बाद कंप्यूटर आउटपुट के रूप में संदर्भित) को भी एक दस्तावेज माना जाएगा, यदि इस धारा में उल्लिखित शर्तें जानकारी के संबंध में संतुष्ट हैं और

विचाराधीन कंप्यूटर और मूल के किसी भी सामग्री या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, मूल के आगे के प्रमाण या उत्पादन के बिना, किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा। कौन सा प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होगा।

(2) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:

(a) जानकारी रखने वाला कंप्यूटर आउटपुट था

कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जब कंप्यूटर का उपयोग नियमित रूप से किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या प्रक्रिया करने के लिए किया जाता था।

उस अवधि में वैध व्यक्ति द्वारा किया गया

कंप्यूटर के उपयोग पर नियंत्रण;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इस प्रकार की जानकारी निहित है।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में या जिस प्रकार से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता था। उक्त गतिविधियों के सामान्य पाठ्यक्रम में कंप्यूटर में;

(ग) उक्त अवधि के पूरे भौतिक भाग में, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो किसी भी अवधि के संबंध में जिसमें यह काम नहीं कर रहा था।

ठीक से या अवधि के उस हिस्से के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रभावित करे

या इसकी सामग्री की सटीकता; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी उक्त प्रक्रिया के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में दी गई ऐसी जानकारी से पुनः उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है।

गतिविधियाँ "। कृष्ण @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]किसी भी अवधि में भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य

नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए

वह अवधि जो उप-धारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित है।

उलरली कंप्यूटर द्वारा निष्पादित, चाहे

उस अवधि में लगातार काम करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा; या में काम करने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा

उस अवधि में उत्तराधिकार; या

उस अवधि में एक या अधिक कंप्यूटरों और कंप्यूटरों के एक या अधिक संयोजनों के क्रमिक संचालन से जुड़े किसी भी अन्य तरीके से,

उस दौरान उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी कंप्यूटर

इस धारा के प्रयोजनों के लिए अवधि को एकल कंप्यूटर के रूप में माना जाएगा; और इस में संदर्भ

कंप्यूटर के अनुभाग का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।

जिन कार्यवाहियों में इस धारा के आधार पर ई में बयान देना वांछित है, उनमें से किसी भी कार्य को करने वाला प्रमाण पत्र, अर्थात -

बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया था उसका वर्णन करना; इसमें शामिल किसी भी उपकरण का विवरण देना

उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उत्पादन जो भी हो सकता है

उन मामलों में से किसी से निपटना जिसमें शर्तें हों उप-धारा (2) में उल्लिखित संबंधित है, और होने का तात्पर्य है

एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

प्रासंगिक उपकरण के संचालन या प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उचित हो) के संबंध में स्थिति प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले का प्रमाण होगी और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह किसी मामले को बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार बताए जाने के लिए पर्याप्त होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) सूचना को कंप्यूटर को आपूर्ति के लिए लिया जाएगा।

यदि इसकी आपूर्ति किसी उपयुक्त रूप में की जाती है और क्या इसकी आपूर्ति प्रत्यक्ष रूप से या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त माध्यम से की जाती है।

उपकरण;

(ख) क्या किसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान

आधिकारिक जानकारी इस दृष्टि से प्रदान की जाती है कि उन गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए उन गतिविधियों के दौरान अन्यथा संचालित कंप्यूटर द्वारा संग्रहीत या संसाधित की जा रही है, वह जानकारी, यदि विधिवत रूप से प्रदान की जाती है
उस कंप्यूटर को उन गतिविधियों के दौरान आपूर्ति के लिए ले जाया जाएगा;

(ग) एक कंप्यूटर आउटपुट का उत्पादन किया गया माना जाएगा।

एक कंप्यूटर द्वारा क्या यह सीधे उसके द्वारा निर्मित किया गया था या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी के माध्यम से

उपयुक्त उपकरण।

गणना द्वारा उससे व्युत्पन्न होने के संदर्भ में, तुलना या कोई अन्य प्रक्रिया।

यह प्रावधान इस कानूनी स्थिति की पुनरावृत्ति है कि कोई भी

एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित राष्ट्र जो एक कागज पर मुद्रित होता है,

1 , गर्भाशय द्वारा उत्पादित प्रकाशिक या चुंबकीय माध्यम में अभिलिखित या प्रतिलिपि एक "दस्तावेज" माना जाएगा और उक्त प्रावधान की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन स्वीकार्य होगा।

26. संहिता की धारा 95 (2) (बी) का विज्ञापन करना भी उपयोगी हो सकता है, जो किसी भी पेंटिंग, ड्राइंग को शामिल करने के लिए "दस्तावेज़" को संदर्भित करता है।

ओटोग्राफ, या अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व। और फिर से, 1860 की संहिता की धारा 29 में अभिव्यक्ति "इमेंट" को परिभाषित किया गया है, जो

इस प्रकारः

" 29. " दस्तावेज़ "। — "दस्तावेज़" शब्द किसी भी मामले को दर्शाता है।

पत्रों के माध्यम से किसी भी पदार्थ पर व्यक्त या वर्णित,

आंकड़े या निशान, या उन साधनों में से एक से अधिक, जिनका उपयोग करने का इरादा है, या जिनका उपयोग उस मामले के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्पष्टीकरण 1. - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षर, आंकड़े या निशान किस माध्यम से या किस सार पर बनाए गए हैं, या क्या सबूत किसी न्यायालय के लिए अभिप्रेत है, या इसका उपयोग किया जा सकता है।

या नहीं।

दृष्टांत

एक अनुबंध की शर्तों को व्यक्त करने वाला एक लेखन, जिसका उपयोग किया जा सकता है

अनुबंध के प्रमाण के रूप में, एक दस्तावेज है।

बैंकर पर चेक एक दस्तावेज होता है। पावर-ऑफ-अटॉर्नी एक दस्तावेज है।

एक नक्शा या योजना जिसका उपयोग करने का इरादा है या जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, एक दस्तावेज है। निर्देश या निर्देश वाला लेखन एक दस्तावेज होता है।

स्पष्टीकरण 2. - जो कुछ भी पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है,

व्यापारिक या अन्य उपयोग द्वारा समझाई गई आकृतियों या चिह्नों को इस धारा के अर्थ के भीतर ऐसे अक्षरों, आकृतियों या चिह्नों द्वारा व्यक्त किया गया माना जाएगा, हालांकि उन्हें वास्तव में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।

चित्रण

ए अपने आदेश के लिए देय विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिखते हैं। समर्थन का अर्थ, जैसा कि समझाया गया है वाणिज्यिक उपयोग यह है कि बिल का भुगतान धारक को किया जाना है। समर्थन एक दस्तावेज है, और इसका अर्थ उसी तरह से लगाया जाना चाहिए जैसे कि "धारक को भुगतान" शब्द या उस प्रभाव के शब्द हस्ताक्षर पर लिखे गए थे।

27. इसके अतिरिक्त, 2000 के अधिनियम की धारा 2 (1) (हेक्टेयर) में दी गई संचार उपकरणों की परिभाषा का विज्ञापन करना भी उचित हो सकता है।

सहायता प्रावधान इस प्रकार हैः

" 2 (1) (हा) "संचार उपकरण" का अर्थ है सेल फोन, व्यक्तिगत डिजिटल सहायता या दोनों या उपयोग किए गए किसी अन्य उपकरण का संयोजन। किसी भी पाठ, वीडियो, ऑडियो या छवि को संचारित करने, भेजने या प्रसारित करने के लिए "

28. हम 2000 के अधिनियम की धारा 2 (1) (v) में "सूचना" की परिभाषा का विज्ञापन भी कर सकते हैं। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 2 (1) (v) "सूचना" में डेटा, संदेश, पाठ, चित्र ध्वनि, आवाज, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डेटा शामिल हैं।

आधार या सूक्ष्म फिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न सूक्ष्म फिशे "[2019] 17 एस. सी. आर.

29. यहाँ तक कि सामान्य में दी गई "दस्तावेज़" की परिभाषा भी

खंड अधिनियम इस स्थिति को मजबूत करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को "दस्तावेज़" के रूप में माना जाना चाहिए। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (18) में "दस्तावेज़" की परिभाषा इस प्रकार हैः

" 3 (18) " दस्तावेज़ में कोई भी लिखित, व्यक्त किया गया मामला शामिल होगा।

या अक्षरों, आकृतियों के माध्यम से किसी भी पदार्थ पर वर्णित या चिह्न, या उन साधनों में से एक से अधिक द्वारा जिसका उद्देश्य है

उपयोग किया जा सकता है, या जिसका उपयोग रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से किया जा सकता है

बात "

30. हैल्सबरी में प्रदर्शनी का उल्लेख करना उचित हो सकता है।

इंग्लैंड के कानून 1 5 अध्याय "दस्तावेजी और वास्तविक साक्ष्य" से संबंधित है जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य का अर्थ और ऑडियो और वीडियो सहित इसकी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता शामिल है।

रिकॉर्डिंग। प्रासंगिक व्याख्या इस प्रकार हैः

" (12) दस्तावेज और वास्तविक प्रमाण

1462. दस्तावेजी साक्ष्य का अर्थ। यह शब्द ' दस्तावेज़ 'के अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थ हैं।

सामान्य कानून में, यह माना गया है कि कोई भी लिखित बात सबूत होने में सक्षम होने का ठीक से वर्णन किया गया है

आरेख, मानचित्र आ योजना 1 7। तस्वीरों को भी माना जाता है। सामान्य कानून 18 1 8 में दस्तावेजों के रूप में।

विधान 1 9 में विभिन्न परिभाषाओं को अपनाया गया है। ए.

दस्तावेज़ पर वास्तविक साक्ष्य के रूप में भरोसा किया जा सकता है (जहाँ इसके

15 चौथा संस्करण, 2006 पुनः प्रकाशन, खंड। 11 (3) आपराधिक कानून, साक्ष्य और प्रक्रिया 16 आर. वी. डे [1908] 2 KB 333 340, डी. सी. पर, प्रति डार्लिंग जे.

17 एक शिलालेख वाला एक मकबरा पत्थर इस अर्थ में एक दस्तावेज है (देखें मोर्टिमर वी। एम 'कालन (1840) 6 एम एंड डब्ल्यू 58), जैसा कि एक शिलालेख वाली ताबूत-प्लेट है (आर वी देखें। एज (1842) विल्स, सर्कमस्टैंटिअल एविडेंस (छठी संस्करण) 309)। 18 लाइल वी. को भी देखें। कैनेडी (नंबर 3) (1884) 27 सीएचडी 1,50 एलटी 730, सीनियर बनाम। होल्ड्सवर्थ, पूर्व पी।

इंडिपेंडेंट टेलीविजन न्यूज लिमिटेड [1976] क्यू. बी. 23, [1975] 2 ऑल ई. आर. 1009, विक्टर चांडलर इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कर्मचारी। [2000] 1 सभी ईआर 160, [1999] 1 डब्ल्यूएलआर 2160, सीएचडी।

19 पुलिस और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम 1984 के प्रयोजनों के लिए, 'दस्तावेज' का अर्थ कुछ भी है जिसमें किसी भी विवरण की जानकारी दर्ज की जाती हैः एस. 118 (सिविल साक्ष्य अधिनियम 1995 की धारा 15 (1), धारा 1 पैरा 9 (3) द्वारा संशोधित। आपराधिक न्याय अधिनियम 2003 के प्रयोजनों के लिए पं. 11 (एसएस। 98-141) (संशोधित रूप में) (साक्ष्य), परिभाषा समान है (एस देखें। 134 (1)) , पं. के प्रयोजनों के लिए इसे बचाएँ। 11 च. 3 (एसएस 137-141) (जिसमें ताज़ा स्मृति से संबंधित प्रावधान शामिल है (एस देखें। 139 ; और पैरा

1438 पूर्व)) इसमें ध्वनियों या गतिशील छवियों की किसी भी रिकॉर्डिंग को शामिल नहीं किया गया है (एस देखें। 140)।

पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसकी सामग्री के बजाय अस्तित्व, पहचान या रूप, अंक 2 ओ), या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में है। वृत्तचित्र

साक्ष्य इसके प्रमाण के रूप में किसी दस्तावेज़ पर निर्भरता को दर्शाता है

शर्तें या विषय-वस्तु 2 1. ए की प्रामाणिकता का सवाल

1463. प्राथमिक साक्ष्य नियम। 'प्राथमिक' के तहत साक्ष्य नियम 'सामान्य कानून 23 में, इसे एक बार आवश्यक माना जाता था

द्वारा साबित किए जाने वाले किसी भी निजी दस्तावेज़ की सामग्री के लिए

मूल दस्तावेज़ 2 4 का उत्पादन। मूल की एक प्रति

दस्तावेज़, या उस दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में मौखिक साक्ष्य,

केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही स्वीकार्य माना जाता था,

अर्थात्: (1) जहाँ कार्यवाही का कोई अन्य पक्ष विफल रहा

मूल प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस का पालन करें जो उसके में था

अधिकार (या जहाँ इसे उत्पादन करने की आवश्यकता इतनी स्पष्ट थी कि ऐसी किसी सूचना की आवश्यकता नहीं थी) 25; (2) जहां

मूल को असंभव दिखाया गया था 2; (3) जहां मूल ऐसा प्रतीत होता है कि खो गया है या नष्ट हो गया है; और (4) जहां एक तिहाई

20 उदाहरण के लिए आर. वी. देखें। एलवर्थी (1867) एलआर 1 सी. सी. आर. 103,32 जे. पी. 54, सी. सी. आर.; बॉयल बनाम। वाइज़मैन (1855) 11 एक्सएच 360। विशुद्ध रूप से यांत्रिक माध्यमों से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़

यह वास्तविक साक्ष्य का गठन करता है, यहां तक कि जहां सामग्री पर निर्भरता रखी गई है: द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सप्पोरो मारू (मालिक) बनाम। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (मालिक) [1968] 2 सभी ई. आर. 195, [1968] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 739 (रडार प्रतिध्वनि की फिल्म); आर. वी. वुड (1982) 76 Cr.App। प्रतिनिधि। 23 , सीए (कैलकुलेटर के रूप में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर); कैस्टल बनाम। क्रॉस [1985] 1 ऑल ई. आर. 87, [1984] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1372, डी. सी. (साक्ष्य श्वास-परीक्षण उपकरण का प्रिंटआउट)। गार्नर वी. भी देखें। डी. पी. पी. (1989) क्रिम। एलआर 583, डी. सी.; आर. वी. स्किनर [2005] ईडब्ल्यूसीए क्रिम। 1439 , [2006] क्रिम। एलआर 56, [2005] ऑल ईआर (डी) 324 (मई)। वास्तविक साक्ष्य के लिए आम तौर पर पैरा 1466 पोस्ट देखें।

21 आर. वी. एलवर्थी (1867) एलआर 1 सी. सी. आर. 103,32 जे. पी. 54, सी. सी. आर.। 22 आर बनाम वेइट (1982) 76 Cr.App। प्रतिनिधि। 110 118, सीए। सामान्य नियम का पालन करते

हुए, किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता न्यायाधीश के लिए एक प्रश्न हैः पैरा 1360 पूर्वकाल देखें। एक दस्तावेज जिस पर कानून द्वारा मुहर लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बिना मोहर वाला होता है, वह है

आपराधिक कार्यवाही में स्वीकार्य हैः मुद्रांक अधिनियम 1891 की धाराएँ। 14 (4) (वित्त अधिनियम 1999 द्वारा संशोधित। 109 (3) , श् 12 पैरा 3 (1), (5))।

26 मालिक वी। बी हाइव स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड [1914] 1 KB 105,12 LGR 421; एलिवन बनाम। फर्निवल (1834) 1 करोड़एम. और आर 277। 27 आर. वी. हावर्थ (1830) 4 सी एंड पी 254 [2019] 17 एस. सी. आर.

मूल के कब्जे वाले पक्ष ने कानूनी रूप से पेश करने से इनकार कर दिया

यह 28 है।

XXX

XXX

X

XX

1466. वास्तविक प्रमाण। भौतिक वस्तुएँ या वस्तुएँ (इसके अलावा)

अदालत या जूरी को मौखिक गवाही सुनने की आवश्यकता हो सकती है जो समझाती है ऐसी किसी भी प्रदर्शनी की पृष्ठभूमि और कथित महत्व, और

उस प्रदर्शनी की शर्त से निष्कर्ष 3 0। जहाँ एक जूरी एक प्रदर्शनी, जैसे कि एक हथियार, को अंदर ले जाना चाहती है

जूरी कक्ष, यह कुछ ऐसा है जिसे न्यायाधीश का विवेकाधिकार है

3 1 की अनुमति दें। जूरी सदस्यों को हालांकि बिना किसी पर्यवेक्षण के आचरण नहीं करना चाहिए।

प्रयोग 3 2, या किसी ऐसी चीज़ का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए जो नहीं किया गया है

साक्ष्य 3 में प्रस्तुत किया गया।

किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करने में विफलता जो अन्यथा हो सकती थी वास्तविक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य स्वीकार करने से नहीं रोकता है

उस वस्तु के अस्तित्व या स्थिति से संबंधित मौखिक साक्ष्य,

हालाँकि इस तरह के साक्ष्य का वजन बहुत कम हो सकता है।

28 आर. वी. नोआज़ (1976) 63 Cr.App। प्रतिनिधि 178, सीए। एक और संभावना यह थी कि किसी दस्तावेज़ की सामग्री को स्वीकार या स्वीकारोक्ति द्वारा साबित किया जा सकता हैः स्लैटरी वी। पूले (1840) 6 एम एंड डब्ल्यू 664

29 इसमें कुत्ते जैसे जानवर शामिल हैं, जिनका यह देखने के लिए निरीक्षण किया जा सकता है कि वे क्रूर हैं या नहीं (पंक्ति 5)। टेलर (1862) 3 एफ एंड एफ 731) या क्या ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बुरा इलाज किया गया है, आदि। हालाँकि ध्यान दें कि वस्तुओं पर मुद्रित बयान (जैसे मूल के बयान) सुनी-सुनाई बातों के मुद्दों को जन्म दे सकते हैं यदि उन पर भरोसा करने की कोशिश की जाती है। सीमा शुल्क नियंत्रक

बनाम। वेस्टर्न लेक्ट्रिक कं. लिमिटेड [1966] एसी 367, [1965] 3 ऑल ईआर 599, पीसी। 30 विशेषज्ञ साक्ष्य अक्सर आवश्यक हो सकते हैं यदि अदालत या जूरी को प्रदर्शनी की अपनी जांच से किसी भी प्रकार के सूचित निष्कर्ष निकालना है। उदाहरण के लिए, एक अदालत या जूरी के लिए उंगलियों के निशान की पहचान या रक्त के धब्बों की उम्र और उत्पत्ति के बारे में अपने स्वयं के बिना सहायता के निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगाः एंडरसन बनाम। आर. [1972] एसी 100, [1971] 3 ऑल ईआर 768, पीसी।

31 आर. वी. राइट [1993] क्रिम। एल. आर. 607, सीए; आर. वी. देवीचंद [1991] क्रिम। एलआर 446, सीए। 32 आर. वी. मैग्स (1990) 91 करोड़। ऐप. प्रतिनिधि 243, सीए, प्रति लॉर्ड लेन सीजे 247 पर; आर. वी. क्रीज़ [1996] क्रिम। एल. आर. 830, सीए; आर. वी. स्टीवर्ट (1989) 89 करोड़। ऐप. प्रतिनिधि। 273 , [1989] क्रिम। एलआर 653, सीए।

33 आर. वी. लॉरेंस [1968] 1 ऑल ई. आर. 579,52 सी. आर. ऐप. प्रतिनिधि। 163 , सीसीए। 34 आर. वी. फ्रांसिस (1874) एल. आर. 2 सी. सी. आर. 128,43 एल. जे. एम. सी. 97, सी. सी. आर.; हॉकिंग बनाम। अहलक्विस्ट

ब्रदर्स। [1944] के. बी. 120 [1943] 1 ऑल ई. आर. 722, डी. सी. आर. वी. भी देखें। उक्सब्रिज जस्टिस, भूतपूर्व। पी. सोफेर (1987) 85 Cr.App। प्रतिनिधि। 367 , डीसी। यदि विचाराधीन वस्तु पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम में है।

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

X

XX

XXX

XXX

1471. ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है

रिकॉर्डिंग को साबित किया जा सकता है, रिकॉर्ड की गई आवाज़ें ठीक से हो सकती हैं पहचान की गई, और साक्ष्य प्रासंगिक है और अन्यथा स्वीकार्य है।

लेकिन उस साक्ष्य पर हमेशा सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। और सभी परिस्थितियों के आलोक में मूल्यांकन किया गया।

किसी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग जो जारी की गई है, स्वीकार्य है।

एक के बीच स्वीकार्यता के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है

एक घटना का प्रत्यक्ष दृश्य और एक दृश्य प्रदर्शन पर इसका एक दृश्य कैमरे की इकाई या कैमरे की रिकॉर्डिंग पर क्या है

फिल्माया। एक गवाह जो एक घटना को एक प्रदर्शन पर देखता है या एक

रिकॉर्डिंग इस बात का प्रमाण दे सकती है कि उसने उसी में क्या देखा था

एक गवाह के रूप में जिसका सीधा दृष्टिकोण था 3 8 38 "

(जोर दिया गया)

31. जैसा कि पाया गया है "पदार्थ" शब्द के उद्देश्य की जांच करने के लिए

1872 अधिनियम की धारा 3,1860 संहिता की धारा 29 और धारा

अभियोजक या किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे में, इसे पेश करने के लिए आम तौर पर दंड प्रक्रिया (गवाहों की उपस्थिति) अधिनियम, 1965 के तहत गवाह आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 2 (प्रतिस्थापित और संशोधित के रूप में) या मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिनियम, 1980 के तहत। 97 (प्रतिस्थापित और संशोधित के रूप में) (पैरा 1409 एंटी देखें)। हालाँकि, प्रतिवादी को ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता है, ऐसा न हो कि उसे खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर किया जाए: ट्रस्ट हाउस लिमिटेड v. पोस्टलेथवेट (1944) 109 जेपी 12. 35 आर. वी. मकसूद अली, आर. वी. आशिक हुसैन [1966] 1 क्यू. बी. 688,49 Cr.App। प्रतिनिधि 230, सी. सी. ए. स्वीकार्यता के निर्धारण से संबंधित विचारों के लिए आर. वी. देखें।

स्टीवेन्सन, आर. वी. हल्स, आर. वी. व्हिटनी [1971] 1 ऑल ईआर 678,55 Cr.App। प्रतिनिधि 171; आर. वी. रॉबसन, आर. वी. हैरिस [1972] 2 सभी ईआर 699,56 Cr.App। प्रतिनिधि 450। आर. वी. भी देखें।

गवाह द्वारा बयान देने के बाद, गवाह वीडियो देख सकता है और, यदि आवश्यक है, अपने बयान में संशोधन करें जब तक कि अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष है और गवाह अपने साक्ष्य का पूर्वाभ्यास नहीं करता हैः आर. वी. रॉबर्ट्स (माइकल), आर. वी. रॉबर्ट्स (जेसन) [1998] क्रिम। एलआर 682,162 जेपी 691, सीए।

36 आर. वी. मकसूद अली, आर. वी. आशिक हुसैन [1966] 1 क्यू. बी. 688,49 Cr.App। प्रतिनिधि 230, सी. सी. ए. टेप रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखों के उपयोग के बारे में आर. वी. देखें। रैम्पलिंग [1987]

क्रिम। एल. आर. 823, सी. ए.; और ब्यूटेरिया बनाम भी देखें। डी. पी. पी. (1986) 76 ए. एल. आर. 45, ऑस्ट। एच. सी. पुलिस साक्षात्कारों की टेप रिकॉर्डिंग के बारे में पैरा 971 और उससे पहले देखें; और पुलिस और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम, 1984 के तहत एक टेप रिकॉर्डिंग के बहिष्कार के बारे में देखें। 78 (के रूप में संशोधित) (पैरा 1365 एंटी देखें) अनुचित साक्ष्य के रूप में आर. वी. देखें। एच [1987] क्रिम। एल. आर. 47, सी. एफ. आर. वी. जेलेन, आर. वी. कर्ज (1989) 90 करोड़। ऐप. प्रतिनिधि 456, सीए (टेप रिकॉर्डिंग को प्रवेश के तत्व के बावजूद स्वीकार किया गया)।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 (18) सामान्य खंड अधिनियम, और यह पता लगाने के लिए कि क्या मेमोरी कार्ड की सामग्री को "दस्तावेज़" माना जा सकता है, हम इसे मानते हैं। भारत के विधि आयोग की दो रिपोर्टों को संदर्भित करना उचित है। 42 वें विधि आयोग की रिपोर्ट 3 में आयोग ने 1860 की संहिता में संशोधन पर राय दी। 1860 की संहिता की धारा 29 पर विचार करते हुए आयोग ने निम्नलिखित राय व्यक्त कीः

" 2.56 . तीनों अधिनियमों में मुख्य विचार एक ही है और जोर उस "मामले" पर है जो दर्ज किया गया है, न कि

पदार्थ जिस पर मामला दर्ज किया गया है। हम महसूस करते हैं कि

समग्र रूप से, कि दंड संहिता में एक परिभाषा होनी चाहिए

" दस्तावेज़ "अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए, और वह धारा 29 होनी चाहिए

बरकरार रखा गया "।

उक्त अवलोकन को 156 वीं रिपोर्ट में दोहराया गया है, जिसमें

आयोग ने इस प्रकार राय दीः

" 11.08 इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 29 में परिभाषित 'दस्तावेज़' शब्द का विस्तार किया जा सकता है ताकि उसमें विशेष रूप से कोई डिस्क, टेप, साउंड ट्रैक या अन्य उपकरण शामिल किया जा सके या जिसमें कोई मामला यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य साधनों द्वारा दर्ज या संग्रहीत किया जाता है।

कार्यकाल के परिणामी संशोधन की भी आवश्यकता है।

" भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत दस्तावेज़

ऊपर दर्शाई गई पंक्तियों पर "।

उपरोक्त रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेमोरी कार्ड की सामग्री एक "विषय" और मेमोरी होगी।

37 टेलर वी। चेशायर के मुख्य सिपाही [1987] 1 सभी ईआर 225,84 Cr.App। प्रतिनिधि 191, डी. सी. 38 टेलर वी। चेशायर के मुख्य सिपाही [1987] 1 सभी ईआर 225,84 Cr.App। प्रतिनिधि 191, डी. सी. प्रतिवादी की पहचान करने वाले साक्ष्य के रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग की स्वीकार्यता के बारे में आर. वी. भी देखें। फोडेन एंड व्हाइट [1982] क्रिम। एल. आर. 588, सीए; आर. वी. ग्रिमर [1982] क्रिम। एल. आर. 674, सीए; आर. वी. ब्लेनकिन्सॉप [1995] 1 Cr.App। प्रतिनिधि 7, सीए। आर. वी. में एक रिकॉर्डिंग स्वीकार की गई थी जिसमें एक सड़क दिखाई गई थी जिस पर एक घटना हुई थी। थॉमस [1986] क्रिम। एलआर 682। स्वचालित सुरक्षा कैमरे द्वारा ली गई स्थिर तस्वीरों द्वारा प्रतिवादी की पहचान के लिए आर. वी. देखें। डोडसन, आर. वी. विलियम्स [1984] 1 डब्ल्यूएलआर

971,79 Cr.App। प्रतिनिधि 220, सी. ए.; पहचान के लिए आम तौर पर पैरा 1455 पूर्व देखें; और किसी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रति की स्वीकार्यता के लिए कजल बनाम देखें। नोबल (1982) 75 Cr.App। प्रतिनिधि 149, सीए।

39 42 वीं रिपोर्ट, भारतीय विधि आयोग, भारतीय दंड संहिता, जून, 1971,32,35

40 भारतीय दंड संहिता पर एक सौ पचास-छठी रिपोर्ट (खंड I), अगस्त, 1997, भारतीय विधि आयोग, अध्याय-XI पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम।

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कार्ड अपने आप में एक "पदार्थ" होगा और इसलिए, मेमोरी कार्ड की सामग्री एक "दस्तावेज़" होगी।

32. यह स्पष्ट है कि पुलिस रिपोर्ट के साथ न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" सहित सभी दस्तावेज और जिनका अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, 1973 की संहिता की धारा 207 के अधिदेश के अनुसार अभियुक्त को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सङ्गतिपूर्ण बात यह है कि मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री अभियुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसे मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की क्लोन की गई प्रति के रूप में किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के गंभीर अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने वाले व्यक्ति को सभी सामग्री और साक्ष्य पहले से प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिस पर अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण न केवल 1973 की संहिता में निहित वैधानिक जनादेश पर, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष मुकदमे के लिए एक अभियुक्त के अधिकार पर भी अतिक्रमण करेगा।

33. हम आगे विस्तार नहीं करना चाहते हैं और न ही हमें सामग्री की प्रासंगिकता के प्रश्न की जांच करने के लिए समझा जाना चाहिए

मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव या उस मामले के लिए इसका प्रमाण और स्वीकार्यता। इस अपील में हमने जिस एकमात्र प्रश्न की जांच की है, वह हैः क्या आरोप-पत्र में निर्दिष्ट मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री या 1973 की संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट, अभियुक्त को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है यदि अभियोजन पक्ष 1973 की संहिता की धारा 207 के आधार पर उसी पर भरोसा करना चाहता है?

34. के प्रकटीकरण के कारण सीमा पर अपील को खारिज करने के लिए प्रतिवादी द्वारा ली गई प्रारंभिक आपत्ति पर लौटना

मजिस्ट्रेट के सामने। यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री को देखने के बारे में गलत तथ्यात्मक कथन के बारे में आपत्ति भी मामले को आगे नहीं ले जाती है, एक बार जब हम अभियुक्त के क्लोन की गई प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार को पहचान लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त के अधिकार के कारण 1973 की संहिता की धारा 207 द्वारा अनिवार्य रूप से मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हैः क्या मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री की क्लोन की गई प्रति को अलग करना और इसे अभियुक्त को सौंपना सुरक्षित हो सकता है या अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियुक्त की अनुमति के साथ या उसके बिना दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

36. तरुण त्यागी (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में कुछ शर्तें लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि, अपीलार्थी द्वारा सुझाए गए सुरक्षा उपाय/शर्तें जैसे कि विशेषज्ञों की मदद लेना, संबंधित प्रतिरूपित प्रतियों पर जलचिह्न लगाना आदि, उनके दुरुपयोग की संभावना को पूरी तरह से खारिज करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं हो सकते हैं। उस में, प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ, यह हो सकता है

संबंधित प्रतिरूपित प्रति में शामिल सुरक्षा मुहरों को भी तोड़ना संभव है। इसके अलावा, प्रतिरूपित प्रतिलिपि के दुरुपयोग और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा पर नज़र रखना लगभग असंभव होगा।

37. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा मांगी गई प्रार्थना को पूरी तरह से स्वीकार करने के बजाय, अपीलार्थी को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सी. एफ. एस. एल.) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से दूसरे विशेषज्ञ की राय लेने की अनुमति देकर राहत को ढाला जाना वांछनीय हो सकता है, उन सभी मामलों पर जिन पर अपीलार्थी को सलाह दी जा सकती है। उसमें, अपीलार्थी अपनी पसंद के विशेषज्ञ की मदद से प्रश्न तैयार कर सकता है, ताकि उसे कथित एजेंसी के सामने रखा जा सके। यह गोपनीय होगा और किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो सी. एफ. एस. एल. से संबद्ध नहीं है। इसी तरह,

विषय मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की प्रति को गोपनीय रखा जाएगा और किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुकदमे के समापन तक संबंधित अभियुक्त या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को छोड़कर। हम ऐसा कहने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि राज्य एफएसएल ने जांच एजेंसी के कहने पर उसी मेमोरी कार्ड के संबंध में अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है।

38. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे समक्ष अपीलकर्ता या अन्य अभियुक्त मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री की क्लोन की गई प्रति का फोरेंसिक विश्लेषण करने की किसी भी विशेषज्ञता, बहुत कम, क्षमता का दावा नहीं कर सकते हैं और न ही कर रहे हैं। उन्हें अंततः पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कुछ विशेषज्ञ एजेंसी। हमारी राय में, आरोपी, जो रुचि रखते हैं

अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मेमरी कार्ड या पेन ड्राइव की सामग्री की वास्तविकता और विश्वसनीयता के बारे में खुद को आश्वस्त करने में, जिस पर

अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान भरोसा करेगा, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी की राय लेने के लिए स्वतंत्र है, जैसे कि सी. एफ. एस. एल. ऐसे मामलों पर जो उन्हें सलाह दी जा सकती है, किस जानकारी का उपयोग उनके द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों का सामना करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें राज्य एफ. एस. एल. की फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल है जिस पर अभियोजन पक्ष ने पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए भरोसा किया है।

39. यह देखते हुए कि यह अंतर-संघर्ष का एक विशिष्ट मामला है

अनुच्छेद 21 से प्राप्त मौलिक अधिकार, जो अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और पीड़ित की निजता का अधिकार है, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है जो दोनों अधिकारों को संतुलित करे। आशा रंजन बनाम के मामले में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बिहार राज्य 4 1 जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 57. उपरोक्त निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि दो व्यक्तियों के बीच उनके अधिकार को लेकर टकराव हो सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत और ऐसी स्थिति में, संतुलन का वजन करें जिस परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता है वह है

व्यापक लोक हित का परीक्षण और आगे जो निश्चित रूप से होगा

परिस्थितियाँ, दिन की सार्वजनिक नैतिकता को आगे बढ़ाती हैं। इसे रखने के लिए अलग तरह से, "अधिक सामुदायिक हित" या "हित"

सामूहिक या सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत होगा

एक के अधिकार को पहचानना और स्वीकार करना जो होना चाहिए

संरक्षित। XXX

XXX

X

XX

61. चाहे जो भी कहा जाए, ऐसी परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है

अंतर-मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के लिए। यह हो चुका है

स्पष्ट रूप से समझा गया कि परीक्षण जिसे लागू किया जाना है जबकि
दो मौलिक अधिकारों या अंतर मौलिक अधिकारों को संतुलित करना,
लागू किए गए सिद्धांत होने वाले सिद्धांत से अलग हो सकते हैं
एक ही मौलिक अधिकार के बीच अंतर-संघर्ष में लागू किया गया।
.... इस प्रकार, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दोनों की वैधता हो सकती है।
अधिकार का दावा या दावा करना। वैधता का तथ्य एक प्राथमिक है
विचार करें। यह याद रखना होगा कि कोई मौलिक अधिकार नहीं है
निरपेक्ष है और इसकी कुछ परिस्थितियों में सीमाएँ हो सकती हैं।

इसलिए, यदि सामूहिक हित या सार्वजनिक हित जो सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा करता है और आगे इसकी वैधता है

मौलिक अधिकार का दावा या दावा केवल तभी किया जा सकता है कि उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए पीड़ितों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अविभाज्य पहलू है और कब

वे इस बात पर जोर देते हैं कि स्वयं के साथ-साथ सामूहिक रूप से, जनहित की अवधारणा को प्रेरित किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह "कानून के शासन" को आगे बढ़ाता है और बढ़ावा देता है। यह तुरंत स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रधानता का परीक्षण जो आधारित है

वैधता और जनहित का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए और इसे अमूर्त शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए तथ्यों, प्रतिस्पर्धी हितों और संतुलन की अंतिम धारणा का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी जो व्यापक सार्वजनिक हित को कम करेगा और कानून के शासन की महानता की सेवा करेगा।

XXX

XXX

XXX

86.1 . जैसा कि अभियुक्त के दृष्टिकोण से माना जाता है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार एकमात्र निरपेक्ष नहीं है। यह लेता है।

86.2 . निष्पक्ष सुनवाई जो संवैधानिक रूप से संरक्षित है अनुच्छेद 21 के तहत पर्याप्त अधिकार और वैधानिक संरक्षण भी,

पीड़ितों के हित या समाज के सामूहिक/हित के साथ संघर्ष की भावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जब सच्ची धारणाओं से एक ही मौलिक अधिकार के संबंध में अंतर-संघर्ष होता है, तो यह संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व होता है कि वे कुछ बातों में संतुलन को तौलें।

परिस्थितियाँ, समग्र रूप से समाज का हित, जब यह कानून के शासन को बढ़ावा देगा और स्थापित करेगा। एक निष्पक्ष सुनवाई नहीं है निष्पक्ष सुनवाई के नाम पर अभियुक्त क्या चाहता है। निष्पक्ष सुनवाई को अंतिम न्याय को शांत करना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से माँगा जाता है, लेकिन अधीन है और तब प्रबल नहीं होगा जब निष्पक्ष सुनवाई के लिए आपराधिक कार्यवाही के हस्तांतरण की आवश्यकता होती है।

(जोर दिया गया)

पी. गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम। केरल राज्य और ANDR। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

40. मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम में यह न्यायालय। संघ

भारत सरकार ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया हैः

" 61. निस्संदेह, लोगों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार और प्रदर्शन आदि एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी दी गई है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी)। सवाल यह है यह है कि क्या इसके कारण निवासियों को परेशानी आदि होती है,

जैसा कि एन. जी. टी. द्वारा विस्तार से उल्लेख किया गया है, एक व्यापक जनहित है।

जो प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के अधिकारों से अधिक है

जंतर मंतर रोड पर और इसलिए, उचित है

इस तरह के प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने में प्रतिबंध। यहाँ, हम सहमत हैं

एन. जी. टी. द्वारा दिया गया विस्तृत तर्क कि

जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं वह कारण बन रहा है

प्रदर्शन करने के लिए मंतार को जगह के रूप में चुना गया है। और अधिकारियों द्वारा भी निर्धारित किया गया था। से गुज़रते हुए

आशा रंजन में निर्देश [आशा रंजन बनाम। बिहार राज्य, (2017)

4 एससीसी 397: (2017) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 376], प्रधानता का सिद्धांत

एक अधिकार को नहीं दिया जा सकता है जिसके द्वारा दूसरे का अधिकार

पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पूर्ण विलुप्त होना संतुलन नहीं है।

संतुलन का अर्थ होगा एक वर्ग के एक अधिकार को कम करना कुछ हद तक ताकि दूसरे वर्ग का भी अधिकार हो

संरक्षित "।

(जोर दिया गया)

41. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि 1973 की धारा 207

संहिता मजिस्ट्रेट द्वारा दस्तावेज़ों को केवल तभी रोकने की अनुमति देती है जब वे भारी मात्रा में हों और बिना किसी अन्य कारण के हों। यदि यह एक "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" है, तो निश्चित रूप से धारा 207 में

दूसरे परंतुक में बड़े होने का आधार, आमतौर पर, लागू नहीं किया जा सकता है और अनुपलब्ध होगा। हम कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम सत्येन भौमिक और Ors.43 के मामले में उस उक्ति से भी अवगत हैं, जिसमें इस न्यायालय ने

42 (2018) 17 एस. सी. सी. 324 43 (1981) 2 एससीसी 109 [2019] 17 एस. सी. आर.

42. फिर भी, न्यायालय अपराध की प्रकृति और अपराध की धारा 327 में संशोधन के अंतर्निहित सिद्धांत से अनजान नहीं हो सकता है।

1973 की संहिता, विशेष रूप से इसकी उप-धारा (2) और 1860 की संहिता की धारा 228 ए का सम्मिलन, पीड़ित की गोपनीयता और उसकी पहचान को सुरक्षित करने के लिए। इस प्रकार समझा जाता है कि न्यायालय एक तंत्र विकसित करने के लिए बाध्य है ताकि अभियुक्त स्वयं को इस बारे में आश्वस्त कर सके

ऊपर उल्लिखित एक स्वतंत्र एजेंसी से मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री की वास्तविकता और विश्वसनीयता, ताकि परीक्षण के दौरान प्रभावी रूप से अपना बचाव किया जा सके। इस प्रकार, दोनों पक्षों के अधिकारों को संतुलित करना अनिवार्य है, जैसा कि आशा रंजन (ऊपर) और मजदूर किसान शक्ति संगठन (ऊपर) में माना गया है। न्यायालय उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए बाध्य है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए 1973 की संहिता की धारा 482 के तहत, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने में सक्षम है।

43. यदि अभियुक्त या उसका वकील स्वयं, अतिरिक्त रूप से, विचाराधीन मेमोरी कार्ड/पेन-ड्राइव की सामग्री का निरीक्षण करने का इरादा रखता है, तो वह मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकता है कि यदि आवश्यक हो तो उसे अपने वकील और आई. टी. विशेषज्ञ के साथ अदालत में एक से अधिक बार निरीक्षण प्रदान करें ताकि वह मुकदमे के दौरान प्रभावी ढंग से अपना बचाव कर सके। यदि ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को उस पर उचित रूप से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करते हुए निष्पक्षता के साथ विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि यह अभियुक्त द्वारा मुकदमे को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं है। अनुमति देते हुए

अभियुक्त और उसके वकील या अधिकृत आई. टी. विशेषज्ञ, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी उपकरण को बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ न ले जाएं। जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रतिलिपि बनाने या स्थानांतरित करने या मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्री को किसी भी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता हो सकती है। इस तरह का बहुआयामी दृष्टिकोण न्याय के उद्देश्यों को कम कर सकता है और न्याय के अधिकार को भी प्रभावी बना सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त।

44. अंत में, हम मानते हैं कि मेमोरी कार्ड की सामग्री /

पेन ड्राइव के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के कारण इसे एक दस्तावेज़ माना जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष उसी पर भरोसा कर रहा है, तो आम तौर पर, अभियुक्त को उसकी एक प्रतिरूपित प्रति दी जानी चाहिए ताकि वह मुकदमे के दौरान एक प्रभावी बचाव प्रस्तुत कर सके। हालाँकि, शिकायतकर्ता/गवाह की गोपनीयता या उसकी पहचान जैसे मुद्दों से जुड़े मामलों में, अदालत को मुकदमे के दौरान प्रभावी बचाव प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त और उसके वकील या विशेषज्ञ को केवल निरीक्षण प्रदान करने में उचित ठहराया जा सकता है। न्यायालय दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है।

45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में आंशिक रूप से सफल व्यक्ति ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश का विरोध किया और न्यायालय ने अभियुक्त को अब तक निर्दिष्ट सीमा तक, विशेष रूप से पैराग्र में, विकल्प देकर क्रमशः स्थिति में संशोधन किया है।

38 और 43.

46. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन विचारण न्यायालय होगा जो सी. पी. में Crl.M.P. नहीं. 49/2018 होगा।

उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई।

47. हम निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि 16/2017 में मुकदमा तेजी से समाप्त हो, अधिमानतः छह महीने के भीतर।

इस निर्णय की तारीख।

कल्पना के. त्रिपाठी